नगर परिषद् बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश– 174001 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–**IV,** दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्न पदाधिकारी प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहेः–

(i) प्रधान

क्र0सं0	नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री कमलेन्द्र कश्यप	01.04.2021 से 31.03.2023

(ii) कार्यकारी अधिकारी एवँ आहरण संवितरण अधिकारी

1	श्री अशोक कुमार शर्मा	01.04.2021 से 31.07.2021
2	श्री पी॰ सी॰ शर्मा (अतिरिक्त कार्यभार)	07.08.2021 से 31.10.2021
3	श्री हरि सिंह (अतिरिक्त कार्यभार)	11.11.2021 से 31.12.2021
4	कु॰ प्रतिमा राय	31.12.2021 से 27.01.2022
5	श्रीमति उर्वशी वालिया	27.01.2022 से 31.03.2022

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर के लेखाओं अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं.	राशि (₹) लाखों मे
1	विभिन्न परियोजनाओं की अनुदान की राशि का अव्ययित शेष	6.14	940.69
2	दिनांक 1.4.2021 से पूर्व प्राप्त अनुदानों का कई वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता	6.15	257.72
3	नगर परिषद् के पास वर्षों पूर्व बन्द हो चुकी योजनाओं में अनुदान राशि का अव्ययित शेष	6.16	241.70
4	गृहकर बकाया, दुकानों/भवनों, पूर्णम शॉपिंग कम्पलैक्स व पूर्णम सिनेमा हॉल ईत्यादि के किराये मनोरंजन कर की वसूली शेष	10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3	406.33
5	मोबाईल आवर स्थापना व नवीनीकरण तथा सफाई शुल्क की वसूली शेष	10.3, 10.4	11.29
6	नगर परिषद् द्वारा निक्षेप कार्य हेतु दिनांक 31.03.2023 तक जारी अस्थाई अग्रिम समायोजन हेतु शेष	12.1	468.91
7	ऑरगैनिक वेस्ट को खाद में परिवर्तित करने की मशीन खरीदकर उपयोग न करके किया गया अपव्यय	13.4	70.39
8	जागो फाऊँडेशन ज्वालामुखी को दुकान किराया ऑनलाईन जमा करने लिये सॉफ्टवेयर तैयार करवाने पर अपव्यय	13.7	1.50
9	11 वर्ष से अधूरी वाहन पार्किंग निर्माण पर व्यर्थ व्यय	14.2	75.00

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

नगर परिषद् द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई थी जबकि कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण आरम्भ करने से पूर्व ही अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–117 दिनांकः 27/04/2023 द्वारा लम्बित पैरो की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु अनुरोध भी किया गया था। वर्तमान अंकेक्षण में बार–बार अनुरोध करने पर 04/1959 से लेकर 03/2021 तक के कुल 331 अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों में से 256 पर अपेक्षित अनुपालना करके अंकेक्षण दल के पास सत्यापन करवाया गया। परन्तु अभी भी उपरोक्त अवधि के लिये 75 अनुच्छेद अनिर्णीत हैं। इनके साथ–साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित

करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। इस अंकेक्षण में निर्णीत किये गये गत प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों पर की गई अनुपालना तथा शेष बचे अनिर्णीत अनुच्छेदों पर अपेक्षित कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट ''1''** पर दिया गया है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद् बिलासपुर के लेखाओं अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक का अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा अवधि 26.06.2023 से 28.08.2023 तक परिषद कार्यालय में सम्पन्न किया गया। आय व व्यय के विस्तृत अंकेक्षण हेतु निम्न मासों के लेखाओं का चयन किया गया तथा आगामी पैरों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त भी समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

क्र॰ सं॰	परियोजना	आय हेतु मास चयन	व्यय हेतु मास चयन
1	सामान्य रोकड़ बही ***(अक्तूबर 2022 की ₹1813932/— की आय में ₹1275000 की राशि ऑनलाईन गृहकर खाते से अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। इसलिये वर्ष 2022—23 में माह 03/2023 चयनित किया गया है)***	03/2022 व 03/2023*	07/2021 व 11/2022
2	घर द्वार कूड़ा संग्रहण/14वाँ वित्तायोग (Door to Door Garbage Collection/14th Finance Commission)	06/2021 व 06/2022	05/2021 व 05/2022
3	15वाँ वित्तायोग	07/2021 व 02/2023	12/2021 व 11/2022
4	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/शहरी आजीविका केन्द्र (NULM/CLC)	04/2021 व 08/2022	05/2021 व 04/2022
5	कम्प्रीहैन्सिव कैपेसिटी बिल्डिंग	07/2021 व	10/2021 व ——

	प्रोग्राम/भवन रेखाचित्र शुल्क (CCBP/House Map Fee) (वर्ष 2022–23 में व्यय शून्य है।)	04/2022	
6	प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY-SNA*)	11/2021 व 05/2022	11/2021 व 05/2022
7	राजीव गांधी अर्बन रिनयूअल फैसिलिटी (RGURF)	09/2021 व 09/2022	02/2022 व 06/2022
8	अटल पुरस्कार योजना	10/2021 व 04/2022	03/2022 व 05/2022
9	पार्क (शहरी विकास) (वर्ष 2021–22 में व्यय शून्य है।)	01/2022 व 07/2022	–– व 08/2022 08/2022
10	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM-SNA*) यह खाता अप्रैल 2022 से आरम्भ किया गया है।	–– व 07/2022	–– व 07/2022
11	स्वच्छ भारत मिशन (SBM-SNA*) (यह खाता नवम्बर 2022 से आरम्भ किया गया है)	–– व 03/2023	–– व 03/2023
12	मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारन्टी योजना (MMSAGY) (यह खाता अक्तूबर 2022 से आरम्भ किया गया है)	–– व 10/2022	–– व 11/2022
13	पार्किंग (शहरी विकास) (यह खाता जून 2022 से आरम्भ किया गया है)	–– व 06/2022	–– व 07/2022
14	पैन्शन निधि	07/2021 व 07/2022	07/2022 व ––

15	ग्रैच्युटी निधि	07/2021 व 01/2023	07/2021 व 03/2023
16	राष्ट्रीय पैन्शन योजना निधि	01/2022 व ––	09/2022 व ––
17	ऑनलाईन जमा गृहकर	03/2022 व ––	03/2023 व 10/2022
18	प्रतिभूति राशि	12/2021 व 11/2022	07/2021 व 05/2022

*** SNA – Single Nodal Account**

अस्वीकरण (Disclaimer): ''यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।''

3. अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क संस्थापना व्यय के आधार पर ₹78800/– आंका गया है। सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–229 दिनांकः 19/08/2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बिलासपुर से अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला–171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से यथाशीघ्र प्रेषित करने का आग्रह किया गया था।

4. वित्तीय विवरणियाँ

नगर परिषद् अधिनियम–1994 के अन्तर्गत तथा नगर परिषद् के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर परिषद् द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण में निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियाँ अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–117 दिनांकः 27/04/2023

द्वारा अनुरोध करने पर प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई वित्तीय विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः—

क्रम	वित्तीय विवरणी	प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई
1	बैलेन्स शीट (Balance Sheet)	प्रस्तुत नहीं की गई
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत की गई
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत नहीं की गई
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)	प्रस्तुत की गई
5	लेखाओं पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	प्रस्तुत नहीं की गई
6	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator))	प्रस्तुत नहीं की गई

4.1 दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System for Accounting) को लागू न करनाः—

निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्याः UD-H(C)-15-49/2003-III/3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III/9337-9385 दिनांक 07.09.2009 एवं UD-H(C)-15-49/2003-IV/5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गये थे कि लेखा खातों का अनुरक्षण दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) के आधार पर किया जाये। परन्तु नगर परिषद् बिलासपुर के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखा खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि इन निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना करते हुये लेखा खातों का अनुरक्षण एकल लेखा पद्धति (Single Entry System) के आधार पर ही किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः निदेशक शहरी विकास विभाग के उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर लेखाओं का अनुरक्षण दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) से करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के तुलन पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना :–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–117 दिनांकः 27/04/2023 तथा 225 दिनांक 09.08.2023 द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी नगर परिषद् द्वारा वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के तुलन पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा तैयार नहीं किये गये हैं। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु तुलन पत्र नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

5. वित्तीय स्थिति

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–117 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट ''2 से 32''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक **नगर परिषद् द्वारा अनुरक्षित अठारह रोकड़ बहियों की वित्तीय स्थिति तथा बैंक समाधान विवरणियां** आगामी उप अनुच्छेदों में वर्णित हैंः–

(5.1.1) मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–2)

शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
			वित्त वर्ष 2021–22			
स्वःस्त्रोत	8688782	9533136	602673	18824591	17541625	1282966
अनुदान	28003750	36959299	0	64963049	25403904	39559145
कुल	36692532	46492435	602673	83787640	42945529	40842111
			वित्त वर्ष 2022–23			
स्वःस्त्रोत	1282966	10665043	1343119	13291128	5578191	7712937
अनुदान	39559145	60741088	0	100300233	64861316	35438917
कुल	40842111	71406131	1343119	113591361	70439507	43151854

(5.1.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की मुख्य रोकड़ बही अनुसार बैंक बचत खातों में उपलब्ध निधि का विवरण (परिशिष्ट–3)

विवरण			कुल राशि (₹)
परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2023 को बैंक बचत खातों में जमा राशि का विवरण निम्नानुसार (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट ''3''** में उपलब्ध):–			
1	हि. प्र. रा. सह. बैंक बिलासपुर	10610105566	7663848
2	हि. प्र. रा. सह. बैंक बिलासपुर	10610112388	24557608
3	हि. प्र. रा. सह. बैंक बिलासपुर	10610120198	10881308
4	हि. प्र. रा. सह. बैंक बिलासपुर	10610112197	50233
	बचत खातों के अन्तशेष का कुल योग		**43152997**

(5.1.3) मुख्य रोकड़ बही की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''3'')

रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	**43151854**
(–) घटावः–	9085
आय के चैक जो बैंक में जमा किये गये परन्तु 31.03.2023 तक क्रैडिट नहीं मिला:– 1. क्रमांक 393828 दिनांक 31.03.2023 – ₹500 2. क्रमांक 501482 दिनांक 31.03.2023 – ₹500 3. क्रमांक 556052 दिनांक 31.03.2023 – ₹500 4. क्रमांक 590710 दिनांक 31.03.2023 – ₹500 5. क्रमांक 000085 दिनांक 31.03.2023 – ₹7085	
उपरोक्त घटाव के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष	**43142769**
(+) जमा:–	10228
जारी किये गये चैक जोकि दिनांक 31.03.2023 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये:– 1. क्रमांक 782374 दिनांक 18.07.2022 – ₹230 2. क्रमांक 786255 दिनांक 16.09.2022 – ₹2400	

3. क्रमांक 791411 दिनांक 27.03.2023 – ₹4198

4. क्रमांक 791412 दिनांक 29.03.2023 – ₹3400

उपरोक्त जमा के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष	**43152997**
गत उप–अनुच्छेद 5.1.2 के अनुसार परिषद् के पास दिनांक 31.03.2023 को उपलब्ध कुल निधि	**43152997**
अन्तर	**शून्य**

(5.1.4) ₹2630/– की राशि के कालातीत चैकों को रोकड़ बही की आय में पुनरलेखांकित न करना :–

गत उप–अनुच्छेद 5.1.3 में जारी किये गये चैकों, जोकि दिनांक 31.03.2023 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, के विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रमांक 1 व 2 पर वर्णित ₹2630/– के दो चैक जारी करने की दिनांक से 3 माह की अवधि बीत जाने के कारण कालातीत हो चुके हैं। नियमानुसार नियत अवधि की समाप्ति पर इस राशि को आय की ओर परिशोधन प्रविष्टि दर्ज करके लेखांकित किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–217 दिनांकः 02/08/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः एम. सी./बी एल पी/ऑडिट/2023–2201 दिनांक 03.08.2023 द्वारा सूचित किया गया कि इन कालातीत चैकों को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 9 पर दिनांक 29.04.2023 को पुनः लेखांकित कर लिया गया था जिसका सत्यापन अंकेक्षण द्वारा कर लिया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की चूक न दोहराई जाये व कालातीत चैकों का पुनरलेखांकन यथासमय सुनिश्चित किया जाये।

(5.2.1) घर द्वार कूड़ा संग्रहण/14वाँ वित्तायोग (Door to Door Garbage Collection/14th Finance Commission) की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–4)

शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
			वित्त वर्ष 2021–22			
स्वःस्त्रोत	2864210	2782589	34148	5680947	4468409	1212538

अनुदान	0	0	0	0	0	0
कुल	2864210	2782589	34148	5680947	4468409	1212538
			वित्त वर्ष 2022—23			
स्वःस्त्रोत	1212538	2362155	35986	3610679	3240790	369889
अनुदान	0	0	0	0	0	0
कुल	1212538	2362155	35986	3610679	3240790	369889

(5.2.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की घर द्वार कूड़ा संग्रहण / 14वाँ वित्तायोग (Door to Door Garbage Collection/14th Finance Commission) की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''5'')

	विवरण	**कुल राशि (₹)**
1	हि. प्र. रा. सह. बैंक बिलासपुर 10610115346	369889
2	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	369889
3	**अन्तर**	**शून्य**

(5.3.1) 15वाँ वित्तायोग की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट—6)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021—22	28445813	17795355	1084111	47325279	20560671	26764608
2022—23	26764608	34187929	1002608	61955145	25017392	36937753

(5.3.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की 15वाँ वित्तायोग की रोकड़ बही अनुसार बैंक बचत खातों में उपलब्ध निधि का विवरण (परिशिष्ट ''7'')

	विवरण	**कुल राशि (₹)**
	परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2023 को बैंक बचत खातों में जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है।	
1	आई डी बी आई बैंक बिलासपुर 1689104000037916	2786653
2	आई सी आई सी आई बैंक बिलासपुर 073501000684	34155305
3	खातों में जमा कुल राशि	36941958

(5.3.3) बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''7'')

रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	36937753
(+) **जमाः–** जारी किया गया चैक क्रमांक 059238 दिनांक 03.03.2023 जोकि दिनांक 31.03.2023 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया	4205
उपरोक्त जमा के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष	**36941958**
गत उप–अनुच्छेद 5.1.2 के अनुसार परिषद् के पास दिनांक 31.03.2023 को उपलब्ध कुल निधि	**36941958**
अन्तर	**शून्य**

(5.4.1) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/शहरी आजीविका केन्द्र (NULM/CLC) की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–8)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
			वित्त वर्ष 2021–22			
स्वःस्त्रोत	698033	249598	19905	967536	640338	327198
अनुदान	1213806	250000	0	1463806	1463806	0
कुल	1911839	499598	19905	2431342	2104144	327198
			वित्त वर्ष 2022–23			
स्वःस्त्रोत	327198	256547	800	584545	150218	434327
अनुदान	0	0	0	0	0	0
कुल	327198	256547	800	584545	150218	434327

टिप्पणीः– *माह 04/2022 से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिये एक अलग एकल नोडल बैंक खाता (Single Nodal Account-SNA) आरम्भ करके अलग रोकड़ बही अनुरक्षित की गई है। तत्पश्चात यह रोकड़ बही तथा बैंक खाता केवल शहरी आजीविका केन्द्र के लेनदेन के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है।*

(5.4.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/शहरी आजीविका केन्द्र (NULM/CLC) की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''9'')

	विवरण	कुल राशि (₹)
1	पंजाब नेशनल बैंक बिलासपुर 3382000108876279	434327
2	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	434327
3	**अन्तर**	**शून्य**

(5.5.1) भवन रेखाचित्र शुल्क (House Map Fee) (Earlier Comprehensive Capacity Building Programme/Swachh Bharat Mission) की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–10)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
			वित्त वर्ष 2021–22			
स्वःस्त्रोत	235177	224362	19717	479256	235227	244029
अनुदान	1603445	0	0	1603445	1603445	0
कुल	1838622	224362	19717	2082701	1838672	244029
			वित्त वर्ष 2022–23			
स्वःस्त्रोत	244029	202494	6905	453428	0	453428
अनुदान	0	0	0	0	0	0
कुल	244029	202494	6905	453428	0	453428

टिप्पणीः– *प्रारम्भिक शेष ₹1838622/– में ₹1739343/– की राशि (ब्याज सहित) स्वच्छ भारत मिशन के अनुदान से सम्बन्धित थी। यह राशि निदेशक शहरी विकास विभाग के निर्देशानुसार वापिस करके इस परियोजना के लिये माह 11/2022 में एक अलग एकल नोडल बैंक खाता (Single Nodal Account-SNA) आरम्भ करके अलग रोकड़ बही अनुरक्षित की गई है। तत्पश्चात यह रोकड़ बही तथा बैंक खाता केवल भवन रेखाचित्र शुल्क ऑनलाईन जमा करने के लिये गेटवे खाता के रूप ही प्रयुक्त किया जा रहा है।*

(5.5.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की भवन रेखाचित्र शुल्क (House Map Fee) (Earlier Comprehensive Capacity Building Programme/Swachh Bharat Mission) की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''11'')

	विवरण	कुल राशि (₹)
1	एच डी एफ सी बैंक बिलासपुर 50100072329018	453428
2	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	453428
3	**अन्तर**	**शून्य**

(5.6.1) प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY-SNA) की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–12)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021–22	676948	20660000	21578	21358526	21358526	0
2022–23	0	12704324	0	12704324	12704324	0

(5.6.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY-SNA) की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''13'')

	विवरण	कुल राशि (₹)
1	यूको बैंक बिलासपुर 12550110042939	0
2	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	0
3	**अन्तर**	**शून्य**

(5.7.1) राजीव गांधी अर्बन रिनयूअल फैसिलिटी (RGURF) की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–14)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021–22	3064284	0	92118	3156402	193725	2962677
2022–23	2962677	0	79358	3042035	296400	2745635

(5.7.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की राजीव गांधी अर्बन रिनयूअल फैसिलिटी (RGURF) की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''15'')

	विवरण	कुल राशि (₹)
1	हि. प्र. रा. सह. बैंक बिलासपुर 10610613367	2353687
2	आई डी बी आई बैंक बिलासपुर 1689104000035741	391948
3	**बैंक खातों में दिनांक 31.03.2023 को उपलब्ध कुल निधि**	**2745635**
4	**रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष**	**2745635**
5	**अन्तर**	**शून्य**

(5.8.1) अटल पुरस्कार की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–16)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021–22	386718	0	11637	398355	58598	339757
2022–23	339757	0	10558	350315	222842	127473

(5.8.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की अटल पुरस्कार की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''17'')

	विवरण	कुल राशि (₹)
1	एच डी एफ सी बैंक बिलासपुर 50100328693322	127473
2	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	127473
3	**अन्तर**	**शून्य**

(5.9.1) पार्क (शहरी विकास) की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–18)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021–22	1708662	0	51838	1760500	0	1760500
2022–23	1760500	0	38409	1798909	1788731	10178

(5.9.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की पार्क (शहरी विकास) की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''19'')

	विवरण	कुल राशि (₹)
1	एच डी एफ सी बैंक बिलासपुर 50100328693220	10178
2	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	10178
3	**अन्तर**	**शून्य**

(5.10.1) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM-SNA) की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति ***(यह खाता अप्रैल 2022 से आरम्भ किया गया है)*** **(परिशिष्ट–20)**

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
			वित्त वर्ष 2021–22			
स्वःस्त्रोत	0	0	0	0	0	0
अनुदान	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0
			वित्त वर्ष 2022–23			
स्वःस्त्रोत	0	0	0	0	0	0
अनुदान	0	2198326	0	2198326	2198326	0
कुल	0	2198326	0	2198326	2198326	0

(5.10.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM-SNA) की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''21'')

	विवरण	कुल राशि (₹)
1	इंडियन बैंक मॉल रोड शिमला 7156654025	0
2	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	0
3	**अन्तर**	**शून्य**

(5.11.1) स्वच्छ भारत मिशन (SBM-SNA) की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति ***(यह खाता नवम्बर 2022 से आरम्भ किया गया है)*** **(परिशिष्ट–22)**

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
			वित्त वर्ष 2021–22			
स्वःस्त्रोत	0	0	0	0	0	0
अनुदान	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0
			वित्त वर्ष 2022–23			
स्वःस्त्रोत	0	0	0	0	0	0
अनुदान	0	1468518	0	1468518	1468518	0
कुल	0	1468518	0	1468518	1468518	0

(5.11.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की स्वच्छ भारत मिशन (SBM-SNA) की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''23'')

	विवरण	कुल राशि (₹)
1	एच डी एफ सी बैंक बिलासपुर 50100489170862	0
2	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	0
3	**अन्तर**	**शून्य**

(5.12.1) मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारन्टी योजना की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति *(यह खाता सितम्बर 2022 से आरम्भ किया गया है)* **(परिशिष्ट–24)**

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021–22	0	0	0	0	0	0
2022–23	0	871850	8423	880273	854000	26273

(5.12.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारन्टी योजना की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''25'')

	विवरण	कुल राशि (₹)
1	एच डी एफ सी बैंक बिलासपुर 50100328693322	26273
2	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	26273
3	**अन्तर**	**शून्य**

(5.13.1) पार्किंग (शहरी विकास) की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति *(यह खाता नवम्बर 2022 से आरम्भ किया गया है)* (परिशिष्ट–26)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
			वित्त वर्ष 2021–22			
स्वःस्त्रोत	0	0	0	0	0	0
अनुदान	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0	0	0
			वित्त वर्ष 2022–23			
स्वःस्त्रोत	0	0	231572	231572	1	231571
अनुदान	0	30000000	0	30000000	30000000	0
कुल	0	30000000	231572	30231572	30000001	231571

(5.13.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् की पार्किंग (शहरी विकास) की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''27'')

	विवरण	कुल राशि (₹)
1	यूको बैंक बिलासपुर 20570110080856	231571
2	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	231571
3	**अन्तर**	**शून्य**

(5.14.1) पैन्शन निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–28)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अंशदान व बैंक ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2021–22	2641649	8211784	10853433	8362448	2490985
2022–23	2490985	10506246	12997231	8488652	4508579

(5.14.2) पैन्शन निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–28)

विवरण	राशि (₹)
हि. प्र. रा. सह. बैंक बिलासपुर बचत खाता संख्या 10610107263	4508579
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष	4508579
अन्तर	शून्य

(5.15.1) ग्रैच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–29)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अंशदान व बैंक ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2021–22	1600913	655868	2256781	1469081	787700
2022–23	787700	626623	1414323	0	1414323

(5.15.2) ग्रैच्युटी निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–29)

विवरण	राशि (₹)
यूको बैंक बिलासपुर बचत खाता संख्या 04630100012108	1414323
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष	1414323
अन्तर	शून्य

(5.16.1) राष्ट्रीय पैन्शन योजना निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–30)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अंशदान व बैंक ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2021–22	3586395	821139	4407534	0	4407534
2022–23	4407534	1145051	5552585	0	5552585

(5.16.2) राष्ट्रीय पैन्शन योजना निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–30)

विवरण	राशि (₹)
यूको बैंक बिलासपुर बचत खाता संख्या 20570110002827	5552585
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष	5552585
अन्तर	शून्य

(5.17.1) ऑनलाईन जमा गृहकर खाते की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–31)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अंशदान व बैंक ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2021–22	34779	955261	990040	0	990040
2022–23	990040	849469	1839509	1275000	564509

(5.17.2) ऑनलाईन जमा गृहकर खाते की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–31)

विवरण	राशि (₹)
एच डी एफ सी बैंक बिलासपुर बचत खाता संख्या 50100400204031	564509
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष	564509
अन्तर	शून्य

(5.18.1) प्रतिभूति राशि खाते की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–32)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अंशदान व बैंक ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2021–22	1781407	2172020	3953427	818291	3135136
2022–23	3135136	3545157	6680293	2644463	4035830

(5.18.2) प्रतिभूति राशि खाते की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–32)

विवरण	राशि (₹)
रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	4035830
(+) **जमाः–** जारी किया गया चैक क्रमांक 788395 दिनांक 31.03.2023 जोकि भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया	21364
उपरोक्त जमा के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष	**4057194**
हि. प्र. रा. सह. बैंक बिलासपुर बचत खाता संख्या 10610108153	**4057194**
अन्तर	**शून्य**

(5.19.1) स्वः–स्त्रोतों तथा अनुदानों के लेखाँकन हेतु अनावश्यक रूप से 15 रोकड़ बहियों का अनुरक्षण तथा 20 बैंक बचत खातों का संचालन करना करना :–

''हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता, 1975'' के नियम 19 (1) के अनुसार "All Money received or spent by or on behalf of Committee shall without any reservation be brought to account in the General Cash Book in the Form G. 2" तथा नियम 26 (1) के अनुसार "Every Committee shall maintain a Register of Government Grants in the Form G.6 in which shall be entered at the time of receipt details of every non-recurring Government Grant and every payment made against each grant". परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् बिलासपुर द्वारा इन नियमों की अवहेलना करते हुये अनावश्यक रूप से स्वः–स्त्रोतों तथा अनुदानों के लेखाँकन हेतु निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार 15 रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया था। इनमें से सामान्य रोकड़ बही के अतिरिक्त अन्य 14 में से 9 में अनुदान तथा 5 में स्वः–स्त्रोतों के आय व्यय का लेखाँकन किया जा रहा है। इसी प्रकार नगर परिषद् द्वारा दिनांक 31.03.2023 को 20 बचत बैंक बचत खातों का संचालन भी किया जा रहा था। अनियमित रूप से परिषद् निधियों के लिए अनावश्यक रोकड़ बहियों का अनुरक्षण तथा इनके लिये बचत खातों का संचालन करने का स्पष्टतयः कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा इसके कारण अधिक त्रुटियों की संभावना भी बनी रहती है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–212 दिनांकः 26/07/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः

एम सी बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः भविष्य में इस सन्दर्भ में कार्रवाई उपरोक्त नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि न केवल उपरोक्त नियमों की अनुपालना हो अपितु श्रम, समय व संसाधनों की बचत भी हो सके।

क्रम	**रोकड़ बही**	**आय का स्त्रोत**	**निधि के लिये संचालित बचत बैंक खाते**
1	सामान्य रोकड़ बही	स्वः स्त्रोत व अनुदान	4
2	घर द्वार कूड़ा संग्रहण/14वाँ वित्तायोग	स्वः स्त्रोत	1
3	15वाँ वित्तायोग	अनुदान	2
4	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/शहरी आजीविका केन्द्र	स्वः स्त्रोत	1
5	सी सी बी पी/भवन रेखाचित्र शुल्क	स्वः स्त्रोत	1
6	प्रधानमन्त्री आवास योजना	अनुदान	1
7	राजीव गांधी अर्बन रिनयूअल फैसिलिटी	अनुदान	2
8	अटल पुरस्कार योजना	अनुदान	1
9	पार्क (शहरी विकास)	अनुदान	1
10	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	अनुदान	1
11	स्वच्छ भारत मिशन	अनुदान	1
12	मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारन्टी योजना	अनुदान	1
13	पार्किंग (शहरी विकास)	अनुदान	1
14	ऑनलाईन जमा गृहकर	स्वः स्त्रोत	1
15	प्रतिभूति राशि	स्वः स्त्रोत	1
	कुल योग		**20**

6. अनुदान

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–117 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में **''परिशिष्ट–33 से**

45'' पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 04/2021 से 03/2023 तक **तेरह रोकड़ बहियों में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से है:—

(6.1) सामान्य रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट—33)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	28003750	36959299	64963049	25403904	39559145
2022—23	39559145	60741088	100300233	64861316	35438917

(6.2) घर द्वार कूड़ा संग्रहण/14वाँ वित्तायोग की रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट—34)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	13294064	0	13294064	0	13294064
2022—23	13294064	0	13294064	0	13294064

(6.3) 15वाँ वित्तायोग की रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट—35)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	27943872	17795355	45739227	20560671	25178556
2022—23	25178556	34187929	59366485	25017392	34349093

(6.4) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/शहरी आजीविका केन्द्र (NULM/CLC) की रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट—36)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	1213806	250000	1463806	1463806	0
2022—23	0	0	0	0	0

(6.5) भवन रेखाचित्र शुल्क **(House Map Fee) (Earlier Comprehensive Capacity Building Programme/Swachh Bharat Mission)** की रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट—37)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	1603445*	0	1603445	1603445	0
2022—23	0	0	0	0	0

* This GIA pertains to SBM which was refunded to Director UD in 10/2021

(6.6) प्रधानमन्त्री आवास योजना की रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट—38)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	0	20540000	20540000	20540000	0
2022—23	0	12704300	12704300	12704300	0

(6.7) राजीव गान्धी अर्बन रिन्यूल फैसीलिटी की रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट—39)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	11366139	0	11366139	193725	11172414
2022—23	11172414	0	11172414	296400	10876014

(6.8) अटल पुरस्कार की रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट—40)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	374260	0	374260	58598	315662
2022—23	315662	0	315662	222842	92820

(6.9) पार्क (शहरी विकास) की रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–41)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	1670060	0	1670060	0	1670060
2022—23	1670060	0	1670060	1670060	0

(6.10) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM-SNA) की रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–42)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	0	0	0	0	0
2022—23	0	2198326	2198326	2198326	0

(6.11) स्वच्छ भारत मिशन (SBM-SNA) की रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–43)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	0	0	0	0	0
2022—23	0	1468518	1468518	1468518	0

(6.12) मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारण्टी योजना की रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–44)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	0	0	0	0	0
2022—23	0	871850	871850	854000	17850

(6.13) पार्किंग (शहरी विकास) की़ रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट–45)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2021—22	0	0	0	0	0
2022—23	0	30000000	30000000	30000000	0

(6.14) विभिन्न परियोजनाओं की अनुदान की ₹940.69 लाख राशि का अव्ययित शेषः—

निम्न वर्णित तालिका में संकलित तथा **परिशिष्ट "46"** पर संलग्न विस्तृत विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि दिनांक 31.03.2023 तक अनुदानों में प्राप्त राशि में से ₹9,40,68,758 ⁄ — की राशि व्यय हेतु शेष थी। अतः अनुपयोग अनुदान राशि का समयबद्ध तरीके से निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र•	परियोजना	31.03.2023 को अव्ययित राशि (₹)
1	मुख्य रोकड़ बही में लेखाकिंत विभिन्न अनुदान	35438917
2	14वाँ वित्तायोग	13294064
3	15वाँ वित्तायोग	34349093
4	आर•जी•यू•आर•एफ•	10876014
5	अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार	92820
6	मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारण्टी योजना	17850
		94068758

(6.15) दिनांक 1.4.2021 से पूर्व प्राप्त ₹257.72 लाख के अनुदानों का कई वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग करने में विफलताः–

दिनांक 01.04.2021 से पूर्व विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान राशियों में से निम्न तालिका में संकलित विवरण अनुसार ₹2,57,71,825/– की अनुदान राशियाँ ऐसी हैं जिनको एक से सात वर्ष से अधिक तक का समय बीत जाने पर भी व्यय नहीं किया गया था।

क्रम	अनुदान मद	वर्ष जिसमें अनुदान प्राप्त हुआ था	अवधि जितने समय अनुदान व्यय नहीं किया गया है	व्यय हेतु शेष अनुदान राशि (₹)
1	स्वच्छ भारत मिशन	2019–20	1 वर्ष से अधिक	1508927
2	14वाँ वित्तायोग	2019–20	3 वर्ष से अधिक	13294064
3	आर•जी•यू•आर•एफ•	2015–16	7 वर्ष से अधिक	10876014
4	अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार	2019–20	3 वर्ष से अधिक	92820
	कुल योग			**₹25771825**

उपरोक्त विफलता के कारण जहां अनुदान निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ है वहीं लाभार्थी नागरिकों को भी प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों से वंचित होना पड़ा है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–205 दिनांकः 22/07/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः एम. सी. बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सम्पूर्ण नहीं पाया गया। अतः भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि परिषद अपनी कार्य प्रणाली को और सुदृढ़ करते हुए प्राप्त अनुदानों का निर्धारित उद्देश्य हेतु उचित समय के अन्दर उपयोग करना सुनिश्चित करे ताकि लाभार्थी जनता को योजनाओं का समय पर लाभ प्राप्त हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(6.16) नगर परिषद् के पास वर्षों पूर्व बन्द हो चुकी योजनाओं में ₹241.70 लाख की अनुदान राशि का अव्ययित शेष :–

अंकेक्षण में पाया गया कि गत उप–अनुच्छेद 6.15 में वर्णित 14वाँ वित्तायोग तथा राजीव गांधी अर्बन रिन्यूल फैसिलिटी योजनाओं में दिनांक 31.03.2023 को क्रमशः ₹1,32,94,064 / – तथा ₹1,08,76,014 / – की अनुदान राशि अव्ययित शेष में दर्शाई गई थी। परन्तु जहां तक अंकेक्षण की जानकारी है यह दोनों योजनाएं वर्षों पूर्व बन्द हो चुकी हैं और इनकी पूर्णता पर परिषद् द्वारा सम्भवतः उपयोगिता प्रमाणपत्र भी जारी किया जा चुका है। नियमानुसार परियोजना पूर्णता पर इस ₹2,41,70,078 / – की शेष अनुदान राशि को सम्बन्धित वित्तपोषक संस्थाओं को वापिस किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक / राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला / 2023 / –207 दिनांकः 22 / 07 / 2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः एम. सी. बी / ऑडिट / 2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सम्पूर्ण नहीं पाया गया। अतः इस मामले में उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इस राशि को यथाशीघ्र उपयोग करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. निवेश

(7.1) परिषद् निधियों से किये गये निवेश का विवरण :–

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक / राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला / 2023 / –117 दिनांकः 27 / 04 / 2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "47"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को परिषद् निधियों से सावधि जमा योजना में निवेशित **₹2,83,02,580 / – की** राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.	निधि का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	31.03.2023 को निवेशित राशि (₹)
1	14वाँ वित्तायोग	हि•प्र•रा•सह• बैंक बिलासपुर	10630309307	7974009
2	14वाँ वित्तायोग	हि•प्र•रा•सह• बैंक बिलासपुर	10630309307	7974009

3	आर•जी•यू•आर•एफ•	हि•प्र•रा•सह• बैंक बिलासपुर	10630309602	6385507
4	आर•जी•यू•आर•एफ•	आई•डी•बी•आई• बैंक बिलासपुर	1689106000003100	5969055
		कुल निवेश		**₹28302580**

रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया है कि दिनांक 31–03–2023 को उपरोक्त वर्णित सावधि जमा में निवेशित/पुर्ननिवेशित राशि को रोकड़ बही के दैनिक/मासिक शेष का भाग बनाने के स्थान पर प्रथम निवेश के समय व्यय के रूप में दर्ज करके निधि शेष से उसे बाहर कर दिया गया है तथा मासिक अन्तशेष का मिलान मात्र बचत बैंक खाता के अन्तशेष के साथ ही किया गया है। इस प्रकार दिनांक 31–03–2023 को 14वाँ वित्तायोग तथा राजीव गांधी अर्बन रिनयूअल फैसिलिटी निधि की रोकड़ बहियों में निधियों के वास्तविक शेष नहीं दर्शाया गया है। इस कारण से परिषद् की रोकड़ बहियां लेखांकन के मूल सिद्धांतों के अनुसार वास्तविक एवं सम्पूर्ण स्थिति नहीं दर्शाती हैं। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(7.2) दिनाँक 31.03.2023 को नगर परिषद् के बैंक बचत खातों में उपलब्ध ₹1005.91 लाख की कुल धनराशि से सावधि निवेश न किया जाना :–

अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया है कि दिनाँक 31.03.2023 को परिषद् द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के बचत बैंक खातों में ₹10,05,90,919/– की राशि रखी गई थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "48"** पर दिया गया है। इतनी बड़ी राशि में से कोई भी सावधि जमा निवेश नहीं किया गया था जबकि इस राशि में से यदि सामयिक आवश्यकता के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को कुशल वित्तीय प्रबन्धन से अल्पावधि सावधि जमा में निवेश किया जाता तो निश्चित रुप से अधिक ब्याज अर्जित किया जा सकता था परन्तु परिषद द्वारा वर्णित राशि केवल बैंक बचत खातों में जमा रखने के परिणामस्वरुप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है, जोकि समुचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–203 दिनांकः 22/07/2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी पत्र संख्याः एम. सी. बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में सामयिक आवश्यकताओं

हेतु समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर उपलब्ध शेष राशि को कुशल वित्तीय प्रबन्धन से अल्पावधि सावधि जमा में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि परिषद को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(7.3) वित्तीय प्रबन्धन की कमी के कारण नगर परिषद् को अवधि 04/2021 से 03/2023 के बीच बैंक सावधि निवेश पर ब्याज की ₹0.26 लाख की हानि :–

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् को गलत वित्तीय प्रबन्धन के कारण IDBI बैंक बिलासपुर में किये गये सावधि निवेश पर कम अर्जित ब्याज के रूप में ₹26,871/– की हानि उठानी पड़ी है। इन निवेश पत्रों के अवलोकन पर पाया गया कि जिस अवधि के लिये तथा जिस ब्याज दर से यह निवेश किये गये हैं उसी अवधि के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर में किये गये निवेशों पर अधिक ब्याज दर से लाभ कमाया गया है। इस हानि का विवरण निम्न तालिका अनुसार है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–202 दिनांकः 22/07/2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी पत्र संख्याः एम. सी. बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः इस इस मामले की विस्तृत जाँच करके इस अदूरदर्शी निर्णय के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	निवेश खाता संख्या	निवेश दिनांक	निवेश अवधि वर्षों मे	निवेश राशि	ब्याज दर	परिपक्वता राशि	अर्जित ब्याज	उसी अवधि के लिये HPSCB द्वारा दी गई ब्याज दर	HPSCB की ब्याज दर से अपेक्षित कुल ब्याज	कम अर्जित ब्याज
1	1689106000003100	03.07.2021	1	5685314	4.90%	5969055	283741	5.25%	304407	20666
2	1689106000003100	03.07.2022	1	5969055	5.15%	6282449	313394	5.25%	319599	6205
	Total									26871

8. नगर परिषद् के वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के बजट के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ :–

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–117 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में निदेशक,

हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के बजट की उपलब्ध करवाई गई प्रतियों के अवलोकन पश्चात निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:–

(8.1) बजट में प्रस्तावित तथा वास्तविक आय–व्यय की तुलना :–

आय व्यय का शीर्ष	**वर्ष 2021–22**	**वर्ष 2022–23**
आय		
स्वः–स्त्रोतों से प्रस्तावित आय	14665500	18570800
स्वः–स्त्रोतों से वास्तविक आय	14836926	17141115
अन्तर	**171426**	**1429685**
	(1.17% आधिक्य)	**(7.70% कमी)**
अनुदानों से प्रस्तावित आय	71000000	82500000
अनुदानों से वास्तविक आय	55084654	125895369
अन्तर	**15915346**	**43395369**
	(22.42% कमी)	**(52.60% आधिक्य)**
व्यय		
कुल प्रस्तावित व्यय	121521669	132010899
कुल वास्तविक व्यय	72748933	95574186
अन्तर	**48772736**	**36436713**
	(40.14% कमी)	**(27.60% कमी)**

(8.2) अनुमोदन

नगर परिषद् के बजट का अनुमोदन निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के लिये क्रमशः कार्यालय पत्र संख्याः UD-H(C)(15)-2/08-I-Bilaspur-20213-14 दिनाँक 10.08.2021 तथा UD-H(C)(15)-2/08-I-Bilaspur-22256-57 दिनाँक 30.06.2022 द्वारा किया गया है।

(8.3) बजट प्राक्कलन क्रमशः पांच तथा तीन माह के विलम्ब से अनुमोदित करवानाः–

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद् अधिनियम 1994 के नियम 249(1 व 2) में प्रावधित है कि नगर परिषद् का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच की अवधि में सदन के पटल पर रखे जाने के पश्चात जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। इसी प्रकार नियम 249(5) में प्रावधित है कि

यदि नगर परिषद् सदन उपरोक्त वर्णित तिथियों के बीच बजट प्रस्तावों को अपनी सहमती नहीं देता है तो कार्यकारी अधिकारी सदन की सहमती के बिना ही जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रेषित करेगा। वर्ष 2021—22 तथा 2022—23 के बजट की अनुमोदित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से यह क्रमशः पत्र संख्याः BLS-LFA-4(I)/88-28934-35 दिनाँक 26.07.2021 तथा BLS-LFA-4(I)/88-39026-27 दिनाँक 28.05.2022 द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रस्तुत किये जाने पर गत उप—अनुच्छेद 8.2 में दिये विवरणानुसार क्रमशः पाँच तथा तीन माह के विलम्ब से अनुमोदत किया गया। इससे स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन तैयार करने में कितनी उदासीनता, निरूत्साह तथा विलम्ब दिखाया गया है। इतनी देरी से बजट अनुमोदित करवाने से यह सारी प्रक्रिया ही निरर्थक हो जाती है।

(8.4) बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता :—

गत उप—अनुच्छेद (8.1) में वर्णित प्रस्तावित बजट अनुमानों तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वःस्त्रोतों की आय के अपवाद के अतिरिक्त अन्य सभी प्रस्तावित बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने से नगर परिषद् बहुत दूर है। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि

1. ***परिषद् द्वारा या तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये; अथवा***
2. ***प्रस्तावित लक्ष्य ही अव्यवहारिक निर्धारित किये गये; अथवा***
3. ***अकर्मण्यता व निष्क्रियता के कारण नगरवासियों को अपेक्षित सुविधाएँ देने में विफलता रही।***

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणियों से स्पष्ट है कि नगर परिषद् बिलासपुर द्वारा बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य को मात्र एक उपहास की तरह लिया जाता है तथा इसके महत्व को लेकर किसी प्रकार की गम्भीरता का भाव नहीं है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुये भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. नगर परिषद की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण :—

नगर परिषद की गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वित्तीय वर्ष	**आय (स्वः स्त्रोत+अनुदान+ब्याज) (₹)**	**व्यय (₹)**
2018—19	43943614	48043819
2019—20	47315835	45680904
2020—21	46735567	36689490

10. आय के अंकेक्षण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ :—

नगर परिषद् बिलासपुर द्वारा अवधि 04/2021 से 03/2023 तक में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताओं को निम्नानुसार वर्णित किया गया हैः—

(10.1.1) गृहकर का बकाया ₹183.10 लाख वसूली हेतु शेष :—

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग—शिमला/2023/—117 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट ''49''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को परिषद् क्षेत्र के नगरवासियों से गृहकर बकाया के रूप में ₹1,83,09,847/— की राशि की वसूली शेष थी। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से अंकेक्षण में पाया गया कि इस बकाया राशि की वसूली हेतु किसी प्रकार के ठोस प्रयास किये गये प्रतीत नहीं हुये जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 के प्रावधानों के आधार पर इस बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। वसूली हेतु बकाया गृहकर का विवरण निम्न तालिका में संकलित हैः—

वित्तीय वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**वर्ष के लिये माँग (₹)**	**कुल योग (₹)**	**वर्ष में वसूली (₹)**	**अन्तशेष (₹)**	**टिप्पणी**
2021—22	15606109	5378062	20984171	4179557	16804614	——
2022—23	16804614	5368632	22173246	3863399	18309847	——

(10.1.2) नये भवनों के गृहकर का निर्धारण न करने के कारण परिषद को राजस्व हानि :—

कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग—शिमला/2023/—117 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट ''50''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021—22 में 32 तथा 2022—23 में 20 = कुल 52 नव निर्मित भवनों के मालिकों को बिजली व पानी के कनैक्शन प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.) जारी किए गए थे, परन्तु इन नवनिर्मित भवनों का न तो गृहकर निर्धारण किया गया था और न ही गृहकर की कोई वसूली की गई जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा यह नगर पालिका अधिनियम एवं सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना है। इस

सन्दर्भ में पहले भी अंकेक्षण द्वारा अपने प्रतिवेदनों में बार–बार आपत्ति दर्ज की गई है परन्तु अभी तक नगर परिषद् द्वारा अनुपालना नहीं की गई है। अतः इस सन्दर्भ में या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा भवन निर्माण पूर्ण करने की तिथि से नियमानुसार गृहकर निर्धारित करके वसूली करना सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(10.2) दुकानों का किराया

(10.2.1) दुकानों/भवनों के किराये की बकाया ₹149.45 लाख वसूली हेतु शेष :–

कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–117 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "51"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 तक नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार दुकानों/भवनों के किराए की बकाया ₹1,49,44,740 की राशि वसूली हेतु शेष थीः–

क्र0 सं0	**किराये की प्रकार**	**दिनांक 31.03.2023 को शेष किराया (₹)**	**दिनांक 31.03.2023 को किराये पर देय दण्डात्मक ब्याज (₹)**	**दिनांक 31.03.2023 को कुल बकाया राशि (₹)**
1	सामान्य दुकानों से वसूली हेतु शेष किराया जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाया गया विस्तृत विवरण **परिशिष्ट ''51''** पर वर्णित है ।	4587869	3237960	7825829
2	उन दुकानों से वसूली हेतु शेष किराया जिनके किरायेदारों पर वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है तथा जिसके सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध	2779860	4339051	7118911

	करवाया गया विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "51"** पर वर्णित है।			
	कुल योग	**7367729**	**7577011**	**14944740**

इस सम्बन्ध में परिषद को सुझाव दिया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानो के अनुसार अपेक्षित ठोस कार्यवाही अमल में लाकर बकाया किराये की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(10.2.2) पूर्णम शॉपिंग कम्पलैक्स के ₹69.04 लाख बकाया किराये की वसूली शेषः–

नगर परिषद् द्वारा Public Private Partnership Mode में निर्मित पूर्णम शॉपिंग कम्पलैक्स के लिये मुख्य रजिस्टर के स्थान पर एक अलग माँग व सन्ग्रह रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया था जिसमें प्रविष्टियाँ वित्तीय के स्थान पर कैलेन्डर वर्ष के आधार पर की जाती हैं। अंकेक्षण में पाया गया कि इस सम्पत्ति के विरूद्ध दिनांक 31.12.2023 तक (मूल किराया ₹64,13,500/– तथा बकाया पर ब्याज ₹4,90,280/–) कुल ₹69,03,780/– किराया वसूली हेतु शेष है। कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–222 दिनांकः 07/08/2023 द्वारा इसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अनुरोध के प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः एम.सी./एन.बी.टी./ऑडिट/2023–2266 दिनांक 08.08.2023 द्वारा सूचित किया कि इस राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। अतः इस राशि की वसूली प्राथमिकता पर सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(10.2.3) पूर्णम सिनेमा हॉल से मनोरंजन कर की ₹4.74 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण में पाया गया है कि परिषद् द्वारा जमीन पट्टे पर देकर Public Private Partnership Mode में मेन मार्किट में निर्मित पूर्णम शॉपिंग कम्पलैक्स दिनांक 01.01.2018 से अस्तित्व में आया जिसमें में दो सिनेमा हॉल भी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचना संख्याः एल.एस.जी.डी.(1)9/94 खण्ड–4 दिनांक 13.12.2000 द्वारा सिनेमा हॉलों से ₹50/– प्रति प्रदर्शन (per show) की दर से मनोरंजन कर वसूल किया जाना निर्धारित किया गया है। यदि प्रतिदिन एक सिनेमा के लिये 4 प्रदर्शन माने जायें तो इस दर से दिनांक

31.03.2023 तक निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार ₹4,74,400/– के मनोरंजन कर की वसूली शेष है। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–221 दिनांकः 07/08/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस राशि की वसूली यथाशीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम सं0	**अवधि**	**अवधि मे कुल दिन**	**दोनों सिनेमा में एक दिन में कुल प्रदर्शन**	**अवधि में कुल प्रदर्शन**	**₹50/– प्रति प्रदर्शन की दर से अपेक्षित वसूली**	**कुल वसूली**	**शेष वसूली**	**टिप्पणी**
1	01.01.2018 से 31.03.2019	455	8	3640	182000	0	182000	04/17 से 03/19 के प्रतिवेदन का पैरा 12 के अनुसार
2	01.4.2019 से 29.02.2020	335	8	2680	134000	0	134000	01.03.20 से 28.02.2022 तक कोविड के कारण बन्द
3	01.03.2022 से 31.03.2023	396	8	3168	158400	0	158400	
	कुल योग	**1186**		**9488**	**474400**	**0**	**474400**	

(10.2.4) कामकाजी महिला छात्रावास किराये की बकाया ₹0.20 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–117 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा **परिशिष्ट ''52''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31.3.2023 को परिषद द्वारा सँचालित कामकाजी महिला छात्रावास के किराये की ₹19,750/– की बकाया राशि वसूली हेतु

शेष थी। अतः इस राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(10.2.5) कामकाजी महिला छात्रावास में कमरा खाली कर चुके किरायेदारों/लाभार्थियों से ₹0.10 लाख किराया वसूली हेतु शेष :-

परिषद द्वारा सँचालित कामकाजी महिला छात्रावास के किराया रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹9520/- का किराया उन किरायेदारों/लाभार्थियों से वसूली हेतु शेष है जिन्होंने इस सुविधा का त्याग करते हुये अपने आवास को खाली कर दिया गया है। पूरा किराये वसूल किये बिना आवास खाली करने की अनुमति देना चिन्तनीय है। अतः इस राशि की वसूली प्राथमिता पर सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र•सं0	**किरायेदार का नाम**	**कमरा संख्या**	**किराया रजिस्टर पृष्ठ**	**खाली करने की तिथि**	**दिनाँक 31.03.2023 तक कुल बकाया राशि (₹)**
1	श्रीमति सावित्री देवी	108	76	30.11.2016	1800
2	श्रीमति पुनिया देवी	109	51	14.06.2019	1785
3	श्रीमति जगजीत कुमारी	209	71	31.05.2017	2400
4	श्रीमति विपिना शर्मा	210	78	20.02.2018	3200
5	श्रीमति शैलजा देवी	306	80	13.03.2019	335
					₹9520

(10.3) मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की ₹9.74 लाख की राशि वसूली हेतु शेष :-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग-शिमला/2023/-117 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "53"** में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहायशी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों के ऊपर मोबाईल टावर स्थापित किये गये है जिनके लिये हिमाचल प्रदेश सरकार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना संख्याः (डी0आई0टी0)-डी0ई0वी0 (आई0टी0) 2005 (एम0आई0एस0सी0)-96 दिनांक 21.6.2017 द्वारा निर्धारित दरों से स्थापना एवं

नवीनीकरण शुल्क की वसूली की जाती है। उक्त परिशिष्ट के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को इस मद में ₹9,74,125/– की राशि विभिन्न कम्पनियों से वसूली हेतु शेष थी। अतः इस बकाया राशि को शीघ्र सम्बन्धित कम्पनियों से वसूल करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(10.4) सफाई शुल्क की ₹1.55 लाख की राशि वसूली हेतु शेषः–

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–117 दिनांकः 27/04/2023 तथा 193 दिनांकः 21/07/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट ''54''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को इस सफाई शुल्क की ₹1,54,598/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। अतः इस बकाया राशि को शीघ्र वसूल करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(10.5) अवधि 04/1989 से 03/1994 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज ₹6921 की नक्शा फीस की वसूली 34 वर्ष के पश्चात भी शेष :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनिर्णत आपत्तियों पर की गई अनुपालना के सत्यापन में पाया गया कि अवधि 04/1989 से 03/1994 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेद 13 (क) में उस समय सरकार द्वारा दरें बढ़ाने पर भी पुरानी दर से गणना करके नक्शा फीस की ₹6921/– की कम वसूली बारे आपत्ति दर्ज की गई थी जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में तथा विस्तृत विवरण में **परिशिष्ट ''55''** पर दिया गया है। यह आपत्ति दर्ज किये हुये 30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी इस राशि की वसूली नहीं किया जाना न केवल खेदजनक है परन्तु साथ ही परिषद् की लचर कार्यप्रणाली को भी दर्शाता है। अतः यह मामला पुनः परिषद् के समक्ष उजागर किया जाता है ताकि इस राशि की वसूली सम्बन्धित मकान मालिको से अथवा दोषी कर्मचारी से (वेतन/पैन्शन) से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र0 सं0	मकान मालिक का नाम	पता	कम वसूली(₹)
1	श्री हजारू राम	पुत्र श्री दौला राम, रौड़ा 3 बिलासपुर।	826
2	श्री राजेश गुप्ता	मकान व दुकान नं• 90–ए, मेन मार्किट, बिलासपुर।	1744
3	श्रीमति सरोज	खसरा नं• 1552/1, कोसरियाँ, बिलासपुर	775

4	श्रीमति उमावति	पत्नी श्री क्रान्ति कुमार, प्लॉट नं• 96/0, रौड़ा 3 बिलासपुर।	2142
5	श्री रमेश कुमार	पुत्र श्री प्रेम लाल, प्लॉट नं• 75–बी, मेन मार्किट, बिलासपुर।	485
6	श्री शिव कुमार	प्लॉट नं• 96/3, रौड़ा 3 बिलासपुर।	949
	कुल योग		**₹6921**

(10.6) परिषद् द्वारा ₹100.52 लाख का व्यय वाहन पार्किंग स्थलों के निर्माण पर करके भी उन्हें किराए पर न देना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–117 दिनांकः 27/04/2023 के प्रत्युत्तर में उपलब्ध करवाई गई परिषद् परिसम्पतियों की सूची जो कि **परिशिष्ट ''56''** पर संलग्न है के अनुसार नगर परिषद् द्वारा दिनाँक 31.03.2023 तक **₹1,00,52,110/**–का व्यय करके 20 वाहन पार्किंग स्थलों का निर्माण किया गया है। इन पार्किंगों के निर्माण पर इंजन व्यय करने के पश्चात भी वर्तमान अंकेक्षण समाप्ति तक इन्हें किराए पर नहीं दिया गया था जिस कारण से परिषद् को लाखों रूपये की सम्भावित वार्षिक आय से वन्चित होना पड़ रहा है। अतः इन पार्किंगों को किराए पर न दिए जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इन्हें प्राथमिकता के आधार पर किराए पर चढ़ाया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. स्थापना (Establishment)

(11.1) श्री सीता राम, चौकीदार को लिपिक के पद पर अनियमित रूप से विभागीय पदोन्नति प्रदान करने बारेः–

श्री सीता राम को चौकीदार से लिपिक के पद पर कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय आदेश संख्याः एमसीबी/ईएसटी/2023–657–59 दिनांक 18.03.2023 द्वारा पदोन्नत किया गया है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि वर्तमान में नगर परिषद् बिलासपुर में लिपिक के केवल सात पद स्वीकृत हैं तथा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से लिपिक पद पर पदोन्नति के लिये प्रावधित 10% की दर से केवल एक (0.70) ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। वर्तमान अंकेक्षण किये जाने तक इस पद पर श्री वासुदेव कार्यरत हैं तथा प्रतिपादित नियमों के अनुसार जब तक श्री वासुदेव इस पद को खाली नहीं करते है तब तक किसी भी अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इस पद के विरूद्ध पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। श्री सीता राम को पदोन्नत करने से पूर्व यह मामला

स्वीकृति हेतु निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को भेजे जाने पर उनके द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्याः यू डी–एच(ए)(1)–22/94–2–50056 दिनांक 31.01.2023 द्वारा सूचित किया कि:–

"In this cotext it is informed that Govt. vide letter No. UD-B(I)-1/2010-Part-III dated 04-04-2015 which is addressed to this office and copy endorsed to all Municipal Councils/Nagar Panchayats of the state has already adopted the Common Recruitment and Promotion Rules notified by the Department of Personnel, Government of Himachal Pradesh vide Notification No. Per(AP)-C-A(3)-7/2010 dated 03-08-2011 & Per(AP)-C-A(3)-1/2010 dated 14-09-2011 and Recruitment and Promotion Rules notified by the Government vide Notification No. LSG-A(3)-5/96 dated 20-08-1997 & 19-09-1998 for implementing the same for promotion/recruitment in the respective categories of Municipal services/cadre in the Urban Local Bodies. The method of recruitment for the post of Clerk as per Common Recruitment and Promotion Rules is as under:-

1. ***"70% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.***
2. ***20 % by Limited Direct Recruitment from amongst the regular Class-IV officials possessing the 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur, having five years regular service or regular combined with continuous service rendered on daily wages or on contract basis, failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.***
3. ***10% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be".***

Further, it is informed that both the categories of Clerk and Chowkidar exist in Municipal Cadre and respective municipality is the appointing authority in respect of the categories existing in municipal cadre.

You are therefore, directed to look into the matter and take appropriate action strictly under the relevant R&P Rules and decide the same at Committee level being appointing authority."

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निदेशक द्वारा नगर परिषद् को नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था जोकि नहीं किया गया तथा प्रावधित नियमों की अवहेलना करते हुये श्री सीता राम को चौकीदार के पद से लिपिक के पद पर अनियमित रूप से पदोन्नत कर दिया गया। इस अनियमितता के कारण नगर परिषद् में एक ही पद के विरूद्ध दो कर्मचारी पदोन्नत कर दिये गये हैं। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–239 दिनांकः 22/08/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः एम सी बी/ऑडिट/2023–2440 दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सम्पूर्ण व सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस मामले पर पर पुनरविचार करके पुनरावलोकन करते हुये निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाना अथवा नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करते हुये यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(11.2) श्रीमति मीना कुमारी, लिपिक के अनियमित वेतन निर्धारण के कारण ₹2412/– का अधिक भुगतानः–

श्रीमति मीना कुमारी, लिपिक की सेवा पंजिका जाँच में पाया गया कि उनकी नियमित नियुक्ति की दिनाँक 27.08.2018 से उन्हें वेतन संशोधन नियम 2022 का लाभ जारी करते समय अनियमित रूप से अधिक वेतन निर्धारित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

1. श्रीमति मीना कुमारी द्वारा 15% के फैक्टर के साथ वेतन संशोधन का विकल्प चुना गया है।
2. वेतन पुनर्संशोधन नियम 2012 के अनुसार दो वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर दिनाँक 27.08.2020 से उन्हें पे बैन्ड ₹5910–20200 + 1900 में आहरित किये जा रहे ₹8300/– के वेतन के स्थान पर पे बैन्ड ₹10300–34800 + 3200 ग्रेड पे के न्यूनतम वेतन ₹13500/– का लाभ दिया गया था। इस कारण चुने गये विकल्प के आधार पर उनका संशोधित वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना अपेक्षित था परन्तु यह गणना गलत की गई है।

क्र0सं0	दिनाँक	गलत निर्धारित वेतन	अपेक्षित वेतन निर्धारण
1	27.08.2020	***लेवल 6 के सैल 10*** में	1. संशोधन पूर्व आहरित वेतन ₹13500

		किया गया वेतन निर्धारण = ₹33400	2. 15% के फैक्टर के साथ संशोधन पूर्व वेतन की गणना {(मूल वेतन + महंगाई भत्ता 113%)+ 15%} = 13500+15255+4313 = 33068 3. ₹33068/– के आधार पर नियमानुसार ***लेवल 3 के सैल 18*** में अपेक्षित वेतन निर्धारण = ₹33300
2	01.08.2021	***लेवल 6 के सैल 11*** में किया गया वेतन निर्धारण = ₹34400	***लेवल 3 के सैल 19*** अनुसार = ₹34300
3	01.08.2022	***लेवल 6 के सैल 12*** में किया गया वेतन निर्धारण = ₹35400	***लेवल 3 के सैल 20*** अनुसार = ₹35300

चूंकि श्रीमति मीना कुमारी द्वारा 15% के वेतन संशोधन फैक्टर को चुना गया है अतः उनका वेतन नियमानुसार दिनांक 31.12.2021 तक काल्पनिक रूप से निर्धारित किया गया तथा इसका वित्तीय लाभ 01.01.2022 से जारी किया गया था। इस अनियमित वेतन निर्धारण के कारण दिनाँक 01.01.2022 से 30.06.2023 तक उन्हें **परिशिष्ट "57"** पर दी गई गणना विवरणी अनुसार ₹2412/– का अनियमित व अधिक भुगतान वेतन व भत्तों के रूप में किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–209 दिनांकः 24/07/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः एम सी बी/ऑडिट/2023–2206 दिनांक 03.08.2023 द्वारा इस राशि की वसूली रसीद संख्या 473/56 दिनांक 03.08.2023 द्वारा किये जाने बारे सूचित किया जिसका संत्यापन अंकेक्षण में कर लिया गया था।

(11.3) श्री अजय किशोर, सफाई कर्मचारी के अनियमित वेतन निर्धारण के कारण ₹0.26 लाख का अधिक भुगतानः–

श्री अजय किशोर, सफाई कर्मचारी की सेवा पंजिका की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि दिनांक 27.07.2021 से ''सुनिश्चित आजीविका प्रगतिशील योजना'' (ACPS) के आधार पर 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर उनका वेतन ₹4900–10680 + 1650 के वेतनमान से बढ़ाकर ₹5910–20200 + 1900 के वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के साथ ₹9610/– से ₹10150/– निर्धारित किया गया है। इसकी विस्तृत पड़ताल में पाया गया है कि श्री अजय किशोर को अपने पद के दायित्व निर्वहन में कमी के कारण दो बार मेजर पैनल्टी लगाते हुये दिनांक 01.07.2011 तथा 01.07.2014 को देय वार्षिक वेतनवृद्धियों को स्थाई रूप से ''सेवाकाल में विराम के बिना (Without Break in Service)'' रोक दिया गया है। जिस कारण सुनिश्चित आजीविका प्रगतिशील योजना के लाभ की देयता/पात्रता निर्धारित करने के लिये भी नियमानुसार 14 वर्ष का सेवाकाल इन दो वर्षों को पृथक करके किया जाना अपेक्षित था।

श्री अजय किशोर ने नगर परिषद् के नियमित कर्मचारी के रूप में दिनांक 24.07.2007 को कार्यग्रहण किया था तथा उक्त दो वर्षों को पृथक करने के पश्चात उनकी 14 वर्ष के सेवाकाल की पात्रता दिनांक 24.07.2023 को पूर्ण होती है। परन्तु नगर परिषद् द्वारा यह लाभ दिनांक 21.07.2021 को ही अनियमित रूप से जारी करके उन्हें दिनांक 24.07.2021 के पश्चात अंकेक्षण किये जाने तक जो अनियमित व अधिक वेतन भुगतान किया गया उसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	दिनाँक	गलत निर्धारित वेतन	अपेक्षित वेतन निर्धारण
1	24.07.2021	₹5910–20200 + 1900 के वेतनमान में निर्धारित वेतन = ₹10150/– (इस मूल वेतन के साथ उन्हें दिनांक 24.07.2021 से लेकर 31.12.2021 तक वेतन भुगतान किया गया है)	₹4900–10680 + 1650 के वेतनमान में = ₹9610/–
	दिनांक 01.01.2016 से वेतन संशोधन नियम 2022 के आधार पर वेतन पुनर्निर्धारण के पश्चात		
2	24.07.2021	लेवल 1 के सैल 12 में किया गया	लेवल 1 के सैल 11 अनुसार =

		वेतन निर्धारण = ₹24900	₹24200
3	01.07.2022	लेवल 1 के सैल 13 में किया गया वेतन निर्धारण = ₹25600	लेवल 1 के सैल 12 अनुसार = ₹24900
4	01.08.2022	लेवल 1 के सैल 14 में किया गया वेतन निर्धारण = ₹26400	लेवल 1 के सैल 13 अनुसार = ₹25600

इस अनियमित वेतन निर्धारण के कारण दिनाँक 24.07.2021 से 30.06.2023 तक श्री अजय किशोर को **परिशिष्ट ''58''** पर दी गई गणना विवरणी अनुसार ₹25962/– का अनियमित व अधिक भुगतान वेतन व भत्तों के रूप में किया गया है।

इस अधिक भुगतान के अतिरिक्त उन्हें वेतन संशोधन नियम 2022 का लाभ जारी करते समय 01.01.2016 से 31.12.2021 तक बकाया राशि की गणना, जो इस अनियमित वेतन निर्धारण के आधार पर की गई है, में भी अपेक्षित संशोधन की आवश्यकता है।

इसके साथ यह भी स्मरणीय है कि दिनांक 31.12.2021 के पश्चात सरकार द्वारा सुनिश्चित आजीविका प्रगतिशील योजना बन्द की जा चुकी है। अतः सन्दर्भ में यथानुसार ही निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री अजय किशोर को चार वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर वर्ष 2011 में जारी किये गये ''सुनिश्चित आजीविका प्रगतिशील योजना'' (ACPS) लाभ का पुनरावलोकन भी नियमानुसार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–210 दिनांकः 25/07/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः एम सी बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में अपेक्षित अनुपालना करके तदानुसार अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(11.4) अवकाश खातों के अन्तशेष को अधिक दर्शाना :–

निम्न वर्णित नगर परिषद् कर्मचारियों की सेवा पँजिका में अवकाश खातों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया है कि इनके अन्तशेष वास्तविक की तुलना में अधिक दर्शाये गये थे। कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा

विभाग–शिमला / 2023 / –210 दिनांकः 25 / 07 / 2023 द्वारा इस त्रुटि बारे सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी ने कार्यालय पत्र संख्याः एम सी बी / ऑडिट / 2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा इस सन्दर्भ में की गई अनुपालना से अवगत करवाया जिसकी पुष्टि अभिलेख से अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है।

क्र	कर्मचारी का नाम	दर्शाया गया शेष (दिन)	वास्तविक शेष (दिन)	अधिक दर्शाया गया शेष (दिन)
1	श्री रतन लाल–2, बेलदार	313	290	23
2	श्री संजय कुमार, सफाई कर्मचारी	300	295	5
3	श्री राज कुमार–1, बेलदार	194	149	45

12. अग्रिमः

(12.1) नगर परिषद् द्वारा निक्षेप कार्य हेतु दिनांक 31.03.2023 तक जारी ₹468.91 लाख के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :7

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक / राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला / 2023 / –117 दिनांकः 27 / 04 / 2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–59** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक ₹4,68,91,150 / – की ऐसी अग्रिम आहरित राशियां समायोजन हेतु शेष थीं जोकि विभिन्न निर्माण कार्यों का निष्पादन निक्षेप कार्य के रूप में करवाये जाने हेतु जारी की गई हैं। इसमें से वर्ष 2021–22 में ₹54,00,575 / – तथा 2022–23 में ₹3,14,90,575 / – के अग्रिम निक्षेप कार्य हेतु जारी किये गये हैं जबकि शेष ₹1,00,00,000 / – की राशि वर्ष 2018–19 में जारी की गई थी जिसके लिये पहले भी अवधि 04 / 2017 से 03 / 2019 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेद 26 में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने बारे अपेक्षित कार्रवाई करने को कहा गया था परन्तु अभी तक अनुपालना नहीं की गई है। यह बहुत चिन्तनीय है कि इतना समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी इन अग्रिमों के समायोजन हेतु नगर परिषद द्वारा कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया है। अतः इनका समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई करके सम्बन्धित निर्माण कार्य निष्पादन करवाने वाले विभागों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(12.2) नगर परिषद् द्वारा अस्थाई अग्रिम भुगतानों के अभिलेख का अनुरक्षण न करना:—

''हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता, 1975'' के नियम 246 (1 से 4) में नगर परिषद् द्वारा निक्षेप कार्य निष्पादन अथवा फुटकर व्यय हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि से सम्बन्धित नियम प्रतिपादित हैं। इसके अनुसार इन अग्रिमों का संकलित अभिलेख प्रारूप ''आर—12'' में अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक गत उप—अनुच्छेद में वर्णित ₹468.91 लाख की राशि अस्थाई अग्रिम के रूप में भुगतान करने पर भी, नियमों की अवहेलना करते हुये, इनके समायोजन अथवा प्रतिपूर्ति पर प्रबन्धकीय नियन्त्रण हेतु उक्त प्रावधित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था। इस विषय पर अँकेक्षण द्वारा गत प्रतिवेदनों में भी कई बार आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु नगर परिषद् द्वारा अभी तक इस सामान्य से सुझाव पर भी अपेक्षित अनुपालना करना उचित नहीं समझा है। अतः इस सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य हेतु इस अभिलेख को नियमानुसार तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ

(13.1) बिजली बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा माँग किये गये लाईन मुरम्मत शुल्क (Line Maintenance Charges) के लिये ₹2.18 लाख का भुगतान करना:—

अंकेक्षण में पाया गया है कि नगर परिषद् द्वारा भुगतान किये गये बिजली के बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रत्येक बिल में ***''लाईन रख रखाव शुल्क (Line Maintenance Charges)''*** की माँग की गई है। नमूना अँकेक्षण जाँच हेतु चयनित माह में पाये गये ऐसे भुगतानों का ₹2,18,467.06/— का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र॰	दिनाँक	रोकड़ बही	रो॰ ब॰ पृ॰	मीटर खाता संख्या	कुल भुगतान (₹)	माँग की गई गत बकाया राशि (₹)
1	19.04.2021	14वाँ वित्तायोग	142	100006001769	9774	4325.46
2	19.04.2021	14वाँ वित्तायोग	142	100006001763	12128	7436.16

3	19.04.2021	14वाँ वित्तायोग	142	100006001762	3980	1223.04
4	19.04.2021	14वाँ वित्तायोग	142	100006001761	12629	7792.86
5	19.04.2021	14वाँ वित्तायोग	142	100006001767	9335	5828.77
6	19.04.2021	14वाँ वित्तायोग	142	100006001768	5812	3887.24
7	19.04.2021	14वाँ वित्तायोग	142	100006001772	604	428.06
8	19.04.2021	14वाँ वित्तायोग	142	100006001770	12328	8984.25
9	19.04.2021	14वाँ वित्तायोग	142	100006001764	9874	6792.95
10	19.04.2021	14वाँ वित्तायोग	142	100006001765	16681	9318.45
11	19.04.2021	14वाँ वित्तायोग	142	100009003733	7519	5049.00
12	22.05.2021	14वाँ वित्तायोग	147	100006001769	8912	4186.16
13	22.05.2021	14वाँ वित्तायोग	147	100006001763	11245	7196.28
14	22.05.2021	14वाँ वित्तायोग	147	100006001762	3263	1183.68
15	22.05.2021	14वाँ वित्तायोग	147	100006001761	10772	7541.48
16	22.05.2021	14वाँ वित्तायोग	147	100006001767	8190	5640.99
17	22.05.2021	14वाँ वित्तायोग	147	100006001768	5520	3761.97
18	22.05.2021	14वाँ वित्तायोग	147	100006001772	557	414.28
19	22.05.2021	14वाँ वित्तायोग	147	100006001770	11155	8694.85
20	22.05.2021	14वाँ वित्तायोग	147	100006001764	14729	6574.05
21	22.05.2021	14वाँ वित्तायोग	147	100006001765	15891	9018.41
22	22.05.2021	14वाँ वित्तायोग	147	100009003733	6956	5049.00
23	22.12.2021	15वाँ वित्तायोग	70	100006001769	11944	4186.16
24	22.12.2021	15वाँ वित्तायोग	70	100006001763	13776	7196.28
25	22.12.2021	15वाँ वित्तायोग	70	100006001762	1944	1183.68
26	22.12.2021	15वाँ वित्तायोग	70	100006001761	9529	7541.48
27	22.12.2021	15वाँ वित्तायोग	70	100006001767	7709	5640.99
28	22.12.2021	15वाँ वित्तायोग	70	100006001768	9769	3761.97
29	22.12.2021	15वाँ वित्तायोग	70	100006001772	557	414.28

30	22.12.2021	15वॉं वित्तायोग	70	100006001770	10326	8694.85
31	22.12.2021	15वॉं वित्तायोग	70	100006001764	14483	6574.05
32	22.12.2021	15वॉं वित्तायोग	70	100006001765	18679	9018.41
33	24.11.2022	15वॉं वित्तायोग	144	100006001769	11330	3516.24
34	24.11.2022	15वॉं वित्तायोग	144	100006001763	5751	5503.68
35	24.11.2022	15वॉं वित्तायोग	144	100006001762	3867	1223.04
36	24.11.2022	15वॉं वित्तायोग	144	100006001761	12895	5503.68
37	24.11.2022	15वॉं वित्तायोग	144	100006001767	7991	4535.44
38	24.11.2022	15वॉं वित्तायोग	144	100006001768	8702	3159.52
39	24.11.2022	15वॉं वित्तायोग	144	100006001772	605	356.72
40	24.11.2022	15वॉं वित्तायोग	144	100006001770	18288	7644
41	24.11.2022	15वॉं वित्तायोग	144	100006001764	7675	5096
42	24.11.2022	15वॉं वित्तायोग	144	100006001765	17288	7389.20
				कुल राशि		₹218467.06

परन्तु नगर परिषद् द्वारा इस भुगतान को करने से पूर्व विद्युत परिषद् से इस शुल्क का औचित्य स्पष्ट किया जाना उचित नहीं समझा और माँगी गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/–236 दिनांकः 22/08/2023 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः एम सी बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त नमूना अँकेक्षण जाँच के बाहर बचे शेष ऐसे सभी प्रकरणों की विस्तृत जाँच की जाये और विद्युत परिषद् से इस ₹2,18,467/– के भुगतान बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाई जाये अन्यथा इसका समायोजन सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(13.2) नगर परिषद् के बिजली बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा माँग की गई ''गत बकाया राशि'' (Previous Arrears) के लिये ₹1.30 लाख का भुगतान करना :–

अंकेक्षण में पाया गया है कि नगर परिषद् द्वारा भुगतान किये गये बिजली के बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ***''गत बकाया राशियों (Previous Arrears)''*** की माँग की गई है। परिषद् द्वारा बिजली बिलों का भुगतान निरन्तर यथासमय किया जा रहा है इसके पश्चात भी विद्युत परिषद् द्वारा बकाया राशि की माँग की गई जिसकी किसी भी प्रकार की जाँच अथवा वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाये बिना ही भुगतान कर दिया गया है। नमूना अँकेक्षण जाँच हेतु चयनित माह में पाये गये ऐसे भुगतानों का ₹1,30,262/– का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र•	दिनाँक	रोकड़ बही	रो• ब• पृ•	मीटर खाता संख्या	कुल भुगतान (₹)	माँग की गई गत बकाया राशि (₹)
1	24.11.2022	मुख्य रोकड़ बही	252	100003022609	12964	12034.62
2	24.11.2022	मुख्य रोकड़ बही	252	100002197491	576	100.49
3	24.11.2022	मुख्य रोकड़ बही	252	100002197893	233	100.00
4	19.01.2022	15वाँ वित्तायोग	80	100009003733	22889	9522.73
5	19.01.2022	15वाँ वित्तायोग	80	100006001769	24125	12112.79
6	19.01.2022	15वाँ वित्तायोग	81	100006001765	36692	18945.70
7	19.01.2022	15वाँ वित्तायोग	81	100006001763	28995	13974.16
8	19.01.2022	15वाँ वित्तायोग	81	100006001762	6779	1971.89
9	19.01.2022	15वाँ वित्तायोग	81	100006001761	23485	9669.13
10	19.01.2022	15वाँ वित्तायोग	81	100006001767	19827	7822.28
11	19.01.2022	15वाँ वित्तायोग	81	100006001768	14821	9907.22
12	19.01.2022	15वाँ वित्तायोग	81	100006001772	1141	565.41
13	19.01.2022	15वाँ वित्तायोग	81	100006001770	59071	10478.55
14	19.01.2022	15वाँ वित्तायोग	81	100006001764	25142	14689.81

15	21.03.2022	15वाँ वित्तायोग	94	100006001767	17590	8367.16
				कुल राशि		₹130261.94

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 10(1)(ए तथा बी) में दिये गये Standards of Financial Propriety के अनुसार

(1) "Every officer incurring or authorzing expenditure from public moneys shall be guided by high standards of financial propriety. Every officer shall also enforce financial order and strict economy and see that all relevant rules and regulations are observed by his own office and by the Drawing and Disbursing Officers. The principles on which emphasis is to be generally laid shall be the following, namely:-

(a) Every officer shall exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public moneys, as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money;

(b) The expenditure shall not be prima facie more than the occasion demands."

उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि कोई भी सामान्य बुद्धि एवँ तर्कशीलता वाला व्यक्ति उसके घर पर बिजली बिल के साथ इस प्रकार राशि की माँग किये जाने पर विद्युत परिषद् कार्यालय से इसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करके ही भुगतान के लिये आगामी कार्रवाई करता है और यही अपेक्षा उससे उस समय भी की जाती है जिस समय वह सरकारी निधियों से कोई व्यय करता है। परन्तु नगर परिषद् द्वारा इन बिलों का भुगतान करने से पूर्व विद्युत परिषद् द्वारा माँग की गई इन बकाया राशियों की जाँच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट किया जाना उचित नहीं समझा और माँगी गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। सामान्यतः विद्युत परिषद् द्वारा बकाया राशि की माँग निम्न दो परिस्थितियों में की जाती हैः—

1. जिस बिल में माँग की गई है उससे पूर्व के एक अथवा अधिक बिलों का भुगतान नहीं किया गया था।
2. बिल का भुगतान देय दिनाँक के पश्चात किया गया जिस पर परिषद् द्वारा दण्ड शुल्क लगाया गया है।

3. परन्तु परिषद् द्वारा अँकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि सभी बिजली बिलों का भुगतान यथासमय और सम्पूर्ण राशि के लिये किया गया है जिस कारण विद्युत परिषद् द्वारा यह बकाया राशि की माँग अनुचित प्रतीत होती है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/–236 दिनांकः 22/08/2023 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः एम सी बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इन प्रकरणों के अतिरिक्त नमूना अँकेक्षण जाँच के बाहर बचे शेष ऐसे सभी प्रकरणों की विस्तृत जाँच की जाये और विद्युत परिषद् से इस राशि का समायोजन अथवा इस चूक के लिये दायित्व निर्धारण करके उचित स्त्रोत से इस ₹1,30,262/– की राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(13.3) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में कमी के लिये से ₹1.10 लाख की दण्ड राशि *(Environmental Compensation)* का भुगतान हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को करनाः–

अंकेक्षण में पाया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में कमी के चलते नगर परिषद् द्वारा मुख्य रोकड़ बही के पृष्ठ 106 पर दिनांक 09.06.2022 को ₹1,10,000/– की दण्ड राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट संख्या 248768 द्वारा पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिलासपुर को किया था। इस भुगतान वाउचर के अवलोकन पर पाया गया कि इस राशि की माँग उक्त अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्याः PCB/RO(BLP)/294/MC Bilaspur/20-2422-25 दिनांक 09.10.2020 द्वारा "Non Compliance of provisions under Solid Waste Management Rules 2016" के कारण की गई थी। इस पत्र में पर्यावरण अभियन्ता द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई थीः–

"Non compliance observed during the inspection on 18-09-2020. It was observed during the inspection that the un-segregated solid waste is being dumped unscientifically within the SFL of the Govind Sagar Lake adjoining to the banks which may deteriorate water quality of Govind Sagar Lake.

The Executive Officer, MC Bilaspur has replied to earlier show cause notice dated 21-08-2020 that due to some dispute the solid waste is not being transported to

the designated processing facility. The same is not satisfactory as the unscientific dumping of unsegregated solid waste is still continuing despite repeated directions from this office and ULB failed to comply with the provisions of Solid Waste Management Rules 2016.

As the Local Body is not carrying out the processing of solid waste and hence violates the Solid Waste Management Rules 2016. It is recomeded to impose Environmental Compensation amounting to ₹5000/- per day from the first day when violation observed i.e. 18-09-2020 toll date i.e. 09-10-2020 amounting ₹110000/-

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह दण्ड परिषद् द्वारा शहर में निकलने वाले ठोस अपशिष्ट को गोबिन्द सागर झील के किनारे फैंकने के कारण अधिरोपित किया गया है। परन्तु यह उस समय कार्यरत अधिकारियों का दोष है न कि नगर परिषद् का, जिस कारण यह भुगतान परिषद् निधि पर उचित प्रभार नहीं है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/– 233 दिनांकः 21/08/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका पत्र संख्याः एम. सी. बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08. 2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस मामले की विस्तृत विभागीय जाँच सुनिश्चित करके इस दण्ड राशि के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये वसूली की जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(13.4) ऑरगैनिक वेस्ट को खाद में परिवर्तित करने की मशीन खरीदकर उपयोग न करके ₹70.39 लाख का अपव्यय

नगर परिषद् द्वारा मुख्य रोकड़ बही के पृष्ठ 240 पर दिनांक 04.11.2022 को ₹50,00,000/– तथा 15वाँ वित्तायोग की रोकड़ बही के पृष्ठ 141 पर दिनांक 07.11.2022 को ₹4,20,320/– कुल ₹54,20,320/– का भुगतान मै. एक्सल इन्डस्ट्रीज़ लिमिटिड, 184–87, एस. वी. रोड, जोगेश्वरी, पश्चिम मुम्बई को ''ऑरगैनिक वेस्ट को खाद में परिवर्तित करने की मशीन'' को स्थापित करने के लिये किया गया है। इसके अतिरिक्त इस मशीन के पास एक शैड व स्टोर का निर्माण करवाने पर भी ₹8,11,758/– तथा ₹8,06,947/– कुल ₹16,18,705/– का भुगतान मै. विनोद कुमार, संविदाकार, गाँव व डाकघर धौनकोठी, तहसील सदर जिला बिलासपुर को किया गया था जिसकी प्रविष्टि 15वाँ वित्तायोग की रोकड़ बही के पृष्ठ 146 पर दिनांक 30.11.2022 को

दर्ज है। उपरोक्त सभी कार्यों को मिलाकर इस प्लॉट को स्थापित करने में कुल ₹70,39,025/– का व्यय किया गया था। प्रस्तुत वाउचर के अवलोकन पर पाया गया कि यह मशीन परिषद् के पशु बाड़ा/फाटक, नजदीक मीट मार्केट, बिलासपुर में माह 11/2022 में स्थापित की गई थी। परन्तु स्थानीय व्यापारियों तथा निवासियों के विरोध पर इसे तुड़वा/खुलवा कर परिषद् कार्यालय के परिसर में लाकर फैंक दिया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/– 232 दिनांकः 21/08/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका पत्र संख्याः एम. सी. बी/ऑडिट/2023–2456 दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस मामले की विस्तृत विभागीय जाँच सुनिश्चित करके इस अपव्यय के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(13.5) सफाई व्यवस्था पर ₹218.11 लाख का व्यय करके भी कचरे का निपटान अवैज्ञानिक तरीके से करना :–

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर में सफाई व्यवस्था पर अवधि 04/2021 से 03/2023 तक दो वर्षों में निम्न विवरणानुसार ₹2,18,11,338/– का व्यय किया गया है।

क्रम सं0	व्यय की मद	कुल व्यय (₹)
1	परिषद् के नियमित सफाई कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर किया गया व्यय	9662352
2	आउटसोर्स/ठेकेदार के माध्यम से रखे गये सफाई कर्मचारियों की मजदूरी पर किया गया व्यय	5032212
3	घर द्वार कूड़ा सन्ग्रहण पर किया गया मजदूरी व्यय	6372774
4	गीले कचरे को सूअर फार्म तक पहुँचाने पर किया गया व्यय	744000
	योग	**21811338**

इसके अतिरिक्त परिषद् द्वारा सूखे कचरे को प्रदेश की सीमेन्ट फैक्टरियों में ईन्धन के रूप में प्रयोग करने हेतु अपने वाहन में भेजने के ऊपर भी व्यय किया जा रहा है।

इस व्यय में संकेतात्मक भाग के रूप में परिषद् द्वारा घर द्वार कूड़ा संग्रहण शुल्क के रूप में नगरवासियों से मात्र ₹44,46,283/– की राशि ही एकत्र की गई थी जिससे कि नगरवासियों

को भी सफाई व्यवस्था से जुड़े होने तथा अपने दायित्व की अनुभूति रहे। इससे स्पष्ट है कि सफाई व्यवस्था वर्तमान में नगर परिषद् के प्रमुख व महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक है। परन्तु प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया है कि इतना अधिक व्यय करने पर भी परिषद् द्वारा कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जा रहा है जिस कारण राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पहले भी ₹1.10 लाख का दण्ड परिषद् पर अधिरोपित किया जा चुका है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/– 244 दिनांकः 28/08/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका पत्र संख्याः एम. सी. बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। वर्तमान में नगर परिषद् को केन्द्र तथा राज्य सरकारों से करोड़ों रूपये अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु अनुदान के रूप में प्राप्त होते जिससे कि नगर को कचरा मुक्त किया जा सके। परन्तु नगर परिषद् बिलासपुर द्वारा ₹218 लाख की भारी भरकम राशि व्यय करके भी कचरे का निपटान अवैज्ञानिक तरीके से करना बहुत चिन्तनीय है। अभी तो केवल एक बार ही प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दण्ड अधिरोपित किया गया है परन्तु भविष्य में यह फिर से और अधिक राशि के लिये हो सकता है। अतः इस समस्या का उच्चतम स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर स्थाई हल ढूँढकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(13.6) बैंक द्वारा राष्ट्रीय शहरी रोजगार मिशन के बैंक खाते से कैश हैन्डलिंग चार्जिज़ की ₹3869/– कटौती करना :–

राष्ट्रीय शहरी रोजगार मिशन के पंजाब नैशनल बैंक के बचत खाता संख्या 3382000108876279 की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट ''60''** पर दिये गये विवरणानुसार बैंक द्वारा अवधि 07/2020 से 03/2023 तक कुल ₹3869/– की राशि की कटौती कैश हैन्डलिंग चार्जिज़ के रूप में की गई है। परन्तु नगर परिषद् द्वारा इस कटौती का बैंक से औचित्य स्पष्ट किया जाना उचित नहीं समझा गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/–236 दिनांकः 22/08/2023 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः एम सी बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08. 2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इन प्रकरणों के अतिरिक्त नमूना अँकेक्षण जाँच के बाहर बचे शेष ऐसे सभी प्रकरणों की विस्तृत जाँच की जाये और

इस कटौती का नियमानुसार औचित्य बैंक से स्पष्ट किया जाये अथवा इस राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(13.7) जागो फाऊँडेशन ज्वालामुखी को दुकान किराया ऑनलाईन जमा करने लिये सॉफ्टवेयर तैयार करवाने हेतु ₹1.50 लाख का अपव्यय :–

नगर परिषद् द्वारा 15वाँ वित्तायोग की रोकड़ बही के पृष्ठ 150 पर दिनांक 08.12.2022 को ₹1,50,000/– का भुगतान मै. जागो फाऊँडेशन ज्वालामुखी को ऑनलाईन दुकान किराया क्रैडिट के लिये सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु किया गया है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि माह 12/2022 में सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद भी परिषद् द्वारा 31.03.2023 तक दुकान किराया ऑफलाईन रसीदें काटकर ही वसूल किया गया जिस कारण यह व्यय निरर्थक है। जब इस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं थी तो स्पष्ट है कि यह व्यय मात्र किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ही किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/– 234 दिनांकः 22/08/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका पत्र संख्याः एम. सी. बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस मामले की विस्तृत विभागीय जाँच सुनिश्चित करके इस अपव्यय के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(13.8) कामकाजी महिला छात्रावास के लिये दो कर्मचारियों को आउटसोर्स माध्यम से नियुक्त करके ₹2.04 लाख की आय के विरूद्ध ₹6.18 लाख का व्यर्थ व्यय (Infructuous Expenditure) :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1990–91 में बिलासपुर नगर के चन्गर सैक्टर में एक **''कामकाजी महिला छात्रावास''** का निर्माण नगर परिषद् के माध्यम से करवाया गया था। इस छात्रावास में आवास आबंटन का नियन्त्रण/अधिकार उपायुक्त जिला बिलासपुर के पास है परन्तु लाभार्थियो से किराया वसूल करने तथा इसके मुरम्मत/रख.रखाव आदि का उत्तरदायित्व नगर परिषद् को दिया गया है। यह दायित्व मिलने से लेकर माह 10/2020 तक इस छात्रावास की जिम्मेदारी (Caretaker) किसी परिषद् कर्मचारी को ही अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर दी जाती थी। इस छात्रावास के किराया रजिस्टर की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि माह

11/2020 से 09/2022 तक कुल ₹2,03,670/– किराये के रूप में प्राप्त हुये हैं। यदि इस किराये की मासिक औसत दर की गणना की जाये तो यह लगभग ₹9000/– प्रतिमाह बनती है।

माह 11/2020 से छात्रावास के लिये सुरक्षा कर्मी (Caretaker) का कार्य आउटसोर्स करते हुये मै• शिमला क्लीनवेज़, शिमला के माध्यम से अवधि 11/2020 से 04/2022 तक ₹30,791/– प्रतिमाह के संयुक्त वेतन पर श्रीमति माया देवी एवं श्रीमति प्रश्नु देवी को नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात इन दोनों को माह 06/2022 से 09/2022 तक शहरी रोजगार केन्द्र (City Livlihood Centre) के माध्यम से ₹16,000/– प्रतिमाह के संयुक्त वेतन पर नियुक्त किया गया था। इन दोनों कर्मियों के वेतन पर निम्न तालिका अनुसार कुल ₹6,18,238/– का व्यय परिषद् द्वारा किया गया। तत्पश्चात माह 10/2022 से इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

क्र0सं0	अवधि	दो कर्मियों का सुयंक्त मासिक वेतन	कुल भुगतान
1	11/2020 से 03/2021 (5 माह)	₹30791/–	₹153955/–
2	04/2021 से 04/2022 (13 माह)	₹30791/–	₹400283/–
3	06/2022 से 09/2022 (4 माह)	₹16000/–	₹64000/–
	कुल योग		₹618238/–

इस भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएँ दर्ज की गई हैं:–

(क) वर्ष 1990–91 में निर्माण से लेकर माह 11/2020 तक इस छात्रावास के संचालन व देख–रेख का दायित्व परिषद् के किसी कर्मचारी द्वारा ही अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निभाया जाता था जिसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उत्पन्न नहीं होता था। जबकि उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि ₹2,03,670/– की कुल किराया प्राप्ति के विरूद्ध इन सुरक्षा कर्मियों को ₹6,18,438/– का वेतन भुगतान किया गया है।

(ख) यह ₹6,18,438/– का व्यय तो मात्र इन दो सुरक्षा कर्मियों के वेतन के लिये ही किया गया है जबकि इसके अतिरिक्त छात्रावास के रख–रखाव पर भी समय–समय पर किया गया है।

(ग) उपरोक्त दिये तथ्यों से स्पष्ट है कि यह छात्रावास नगर परिषद् नही बल्कि समाज कल्याण विभाग की सम्पत्ति है जिसका किराया वसूल करने का दायित्व परिषद् द्वारा लेना ही प्रथमतयः अनियमित है। तदापि ऐसा प्रतीत होता है कि इन सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करने से पूर्व इस

प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता (Financial Feasibility) पर विचार नही किया गया है जिस कारण परिषद् पर यह ₹618438/– का व्यर्थ व्यय (Infructuous Expenditure) लाद दिया गया।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/– 235 दिनांकः 22/08/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका पत्र संख्याः एम. सी. बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सम्पूर्ण नहीं पाया गया है। अतः इस मामले की विस्तृत विभागीय जाँच सुनिश्चित करके इस अपव्यय के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत सुझाव दिया जाता है कि इस मामले को समाज कल्याण विभाग के साथ उठा कर इन सुरक्षा कर्मियों के वेतन का व्यय उनके द्वारा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाये ताकि संसाधनों की कमी से जूझती नगर परिषद् को इस व्यर्थ व्यय के दायित्व से मुक्ति प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विभाग की सम्पत्ति के रख–रखाव का दायित्व भी परिषद् द्वारा लिया जाना अनियमित है क्योकि भविष्य में यदि इस सम्पत्ति के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो परिषद् किसी भी क्षमता (Capacity) में अपना बचाव करने में समर्थ नहीं होगी। अतः यदि सम्भव हो तो इस दायित्व से भी मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाये अन्यथा इस सम्पत्ति का सम्पूर्ण स्वामित्व प्राप्त किया जाये। इन अंकेक्षण आपत्तियों बारे प्राथमिकता पर अनुपालना करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(13.9) जे0सी0बी0 तथा रोड रोलर किराये पर लेते समय निविदाओं की गलत गणना के साथ तुलनात्मक विवरणी तैयार करके ₹6515/– का अधिक भुगतान :–

अंकेक्षण में पाया गया है मुख्य रोकड़ बही के पृष्ठ 241 पर दिनांक 11.11.2022 को श्री हाकम चन्द, संविदाकार, मकान संख्या 35, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बिलासपुर को जे सी बी तथा रोड रोलर निविदा आधारित दरों पर किराये पर लेने के लिये ₹47,790/– का भुगतान किया गया था। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई हैं।

1. इस कार्य के लिये तीन निम्नलिखित निविदायें प्राप्त हुई थीं:–

क्र0सं0	फर्म का नाम	जे सी बी के लिये दी गई दर (₹)	रोड रोलर के लिये दी गई दर (₹)
1	श्री सतेन्द्र	***915 (न्यूनतम)***	4650
2	श्री हाकम चन्द	900+ जी एस टी 18% =	4500+ जी एस टी 18% =

		1062	5310
3	श्री नरेन्द्र कुमार	920	***4600 (न्यूनतम)***

2. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जे सी बी के लिये न्यूनतम दर श्री सतेन्द्र द्वारा ₹915/– प्रतिघण्टा तथा रोड रोलर के लिये श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा ₹4600/– प्रतिदिन के लिये दी गई थी।

3. श्री हाकम चन्द द्वारा अपनी दर के अतिरिक्त जी एस टी का 18% का दावा भी किया गया था परन्तु नगर परिषद् द्वारा तुलनात्मक विवरणी बनाते समय जी एस टी दावे को गणना में न लेकर निविदा की मूल दर की ही तुलना करते हुये कार्य श्री हाकम चन्द से करवाया गया है। ***जबकि अन्य दोनों फर्मों द्वारा अपनी दरों के साथ अतिरिक्त जी एस टी का कोई दावा नहीं किया गया था।*** श्री हाकम चन्द द्वारा अपनी निविदा में अंकित दरों के आधार पर अपने बिल संख्या 314 तथा 313 दिनांक 28.09.2022 में जी एस टी सहित क्रमशः ₹26,550/– तथा ₹21,240/– कुल ₹47,790/– का दावा किया गया था।

4. तुलनात्मक विवरणी में इस गलत गणना के कारण निम्न विवरणानुसार कुल ₹6515/– (3675+2840) का अधिक भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	श्री हाकम चन्द को निविदा दरों से किया गया भुगतान (₹)	वास्तविक न्यूनतम दर से अपेक्षित भुगतान (₹)	कुल अधिक भुगतान (₹)
1	जे सी बी का प्रयोग	25 घण्टे के लिये ₹26550/– (25 x 1062)	25 घण्टे के लिये ₹915 प्रतिघण्टा की दर से ₹22875/–	₹3675/–
2	रोड रोलर का प्रयोग	4 दिन के लिये ₹21240/–(4 x 5310)	4 दिन के लिये ₹4600 प्रतिदिन की दर से ₹18400/–	₹2840/–
	कुल योग			**₹6515/–**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/– 238 दिनांकः 22/08/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका पत्र संख्याः एम. सी. बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस मामले की विस्तृत विभागीय जाँच पश्चात इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14. निर्माण कार्यों में व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँः

(14.1) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन बाहरी एजैंसी से बनवाकर ₹4.43 लाख का अपव्यय करने बारेः–

अंकेक्षण में निर्माण कार्यों के बिलों की नमूना जाँच में पाया गया कि परिषद् द्वारा निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने के लिए **मै• राजेश कुमार, क्रियेटिव डिजाईनर बिलासपुर को** निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार अवधि 04/2018 से 03/2023 तक **₹4,42,750/– का भुगतान किया गया** है। परिषद् के पास अपना कनिष्ठ अभियन्ता होने के उपरान्त भी प्राक्कलन बाहरी एजैंसी से तैयार करवाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है जिस कारण यह व्यय एक अपव्यय प्रतीत होता है। ***इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा अपने प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019 में अनुच्छेद 23 तथा 04/2019 से 03/2021 में अनुच्छेद 17 में आपत्ति दर्ज किये जाने पर भी नगर परिषद् द्वारा कोई अनुपालना कार्रवाई नहीं की गई है। अंकेक्षण आपत्ति के पश्चात भी इस अनियमित व्यय को किया जाना परिषद् द्वारा सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों के प्रति दृष्टिकोण तथा अवहेलनात्मक दृष्टिकोण को स्पष्टतः उजागर करता है।*** इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु एक बार पुनः अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/–242 दिनांकः 28/08/2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः एम सी बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस अनियमित व्यय का औचित्य तथ्यपूरक तरीके से स्पष्ट करते हुये इसे सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में निर्माण कार्यों के लिए प्राक्कलन परिषद् अभियन्ता द्वारा तैयार करवाना सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	दिनांक	रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ	राशि (₹)	टिप्पणी
1	04.08.2018	मुख्य	61	49581	अवधि 04/17 से 03/19 में अनुच्छेद 23
2	01.11.2018	मुख्य	103	39139	अवधि 04/17 से 03/19 में अनुच्छेद 23
3	11.07.2019	मुख्य	237	42937	अवधि 04/19 से 03/21 में अनुच्छेद 17
4	15.07.2020	मुख्य	7	62709	अवधि 04/19 से 03/21 में अनुच्छेद 17
5	11.01.2023	मुख्य	306	153249	वर्तमान अंकेक्षण
6	09.09.2021	15वाँ वित्तायोग	51	95135	वर्तमान अंकेक्षण
	कुल योग			**442750**	

(14.2) 11 वर्ष से अधूरी वाहन पार्किंग निर्माण ₹75.00 लाख का व्यर्थ व्ययः–

पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा बिलासपुर में वाहन पार्किंग निर्माण हेतु ₹75,00,000/– का अनुदान चैक संख्या 47700655 दिनांक 31.03.2012 द्वारा जारी किया गया था। परिषद् द्वारा बहुमंजिला पार्किंग निर्माण हेतु बिलासपुर गुरूद्वारा के पास नाले में स्थल चयनित करके इसे निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादित करवाने हेतु उक्त अनुदान राशि को चैक संख्या 476889 दिनांक 05.06.2012 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल–1, बिलासपुर को जमा करवा दिया था। इस कार्य को तीन माह के भीतर निष्पादित किया जाना प्रस्तावित था। परन्तु आज 11 वर्ष बीत जाने पर भी यह अधूरा है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा पहले भी अवधि 04/2013 से 03/2015 तथा 04/2015 से 03/2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में क्रमशः अुनच्छेद क्रमांक 8 तथा 14 में आपत्ति दर्ज की गई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग –शिमला/2023/–224 दिनांकः 09/08/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसका कार्यालय पत्र संख्याः एम सी बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023

द्वारा दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस मामले में तथ्यात्मक वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ इस अधूरी वाहन पार्किंग को प्राथमिकता के साथ पूरा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.3) निर्माण कार्य बिलों में रॉयल्टी की कटौती न करना :–

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) {Himachal Pradesh Department of Industries – Geoligical Wing} द्वारा जारी Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 की दूसरी अनुसूची में निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले क्षुद्र खनिज जैसे रेत, बजरी, पत्थर, मिट्टी, ईंट इत्यादि की मात्रा के विरूद्ध की जाने वाली रॉयल्टी की कटौती की दरें प्रतिपादित की गई हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि निर्माण कार्य बिलों से नगर परिषद् द्वारा रॉयल्टी की कोई कटौती नहीं की गई है। इस अनियमितता के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/–199 दिनांकः 21/07/2023 के द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः एम सी बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिये कहे जाने पर मात्र इतना ही सूचित किया है कि **''नगर परिषद् द्वारा 04/2021 से 03/2023 तक की अवधि में रॉयल्टी की कोई कटौती नहीं की गई है''** जोकि अधूरा व तथ्यविहीन होने के अतिरिक्त सन्तोषजनक भी नहीं पाया गया है। अतः अब इन सब बिलों से काटी जाने वाली अपेक्षित रॉयल्टी राशि की गणना करके उद्योग विभाग को जमा करवाना तथा भविष्य हेतु कार्यप्रणाली में सुधार करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.4) निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवेहलना तथा सम्बन्धित अभिलेख को तैयार न करना :–

निर्माण कार्यों के बिलों का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा ''हिमाचल प्रदेश नगर पलिका लेखा संहिता, 1975'' के अध्याय 12 में निर्माण कार्य निष्पादन से सम्बन्धित प्रावधित नियमों की अनुपालना न करने के दृष्टिगत निम्नलिखित अनियमितताएं की गई थी जिनका यथोचित समाधान करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः–

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा टैंडर में भरी गई दरों को बाजारी मूल्य के साथ तार्किकता के आधार पर परखा जाता है (Justification of Rates is

Prepared) परन्तु नगर परिषद् द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रावधान की पूर्ण अवहेलना करते हुए किसी भी निर्माण कार्य के आबंटन से पूर्व जस्टीफिकेशन ऑफ रेटस तैयार नहीं किए गए थे।

2. ठेकेदारों द्वारा टैंडर में दी गई दरों के लिए तैयार तुलनात्मक विवरणी में इनकी तुलना शैडयूल की दरों से करते हुए कम अथवा आधिक्य प्रतिशतता को भी नहीं दर्शाया गया था। (Percentage above or below the Scheduled Rates not being referred in comparative statement of tendered rates)
3. हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 201 के अनुसार कार्य की पूर्णता पर सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा प्रारूप एम0डब्लयू0–14 पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद् द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/–236 दिनांकः 22/08/2023 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः एम सी बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(14.5) निर्माण कार्यों के निष्पादित नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया अनियमित भुगतानः–

सी. पी. डलल्यू. डी. कोड 2014 के पैरा 24.1.2.(ए) के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य की निष्पादित मात्रा/राशि में आये कम/अधिक विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के पश्चात ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर परिषद् बिलासपुर द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान निष्पादित निर्माण कार्य बिलों की नमूना अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट ''61''** पर संकलित प्रकरणों में कुल कार्य निष्पादन अवार्ड मात्रा/राशि से कम अथवा अधिक मात्रा/राशि के लिये हुआ है तदापि इनके अन्तिम बिलों का भुगतान करने से पूर्व विचलन की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं ली गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/–246 दिनांकः 28/08/2023 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः एम सी बी/ऑडिट/2023–2455 दिनांक 28.08.

2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–117 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अभिलेख की जाँच में स्टोर/स्टॉक के लेखांकन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं।

1. अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामान की भौतिक सत्यापना (Physical Verification) नहीं की गई है। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में शेष सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी आवश्यक है।
2. नगर परिषद् द्वारा करवाये गये स्टोर/स्टॉक के अन्तिम भौतिक सत्यापन का अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। और न ही वर्तमान अंकेक्षणावधि में इन नियमों की अनुपालना की गई है।
3. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 15 में नियम 238 (1 व 2) में दिए गए प्रावधानों में नगर परिषद् द्वारा खरीदे गए स्टोर/स्टॉक के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए स्टोर/स्टॉक का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। नगर परिषद् द्वारा जिन स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया है उनमें इसमें से अधिकतर नियमों की अनुपालना तो की गई है परन्तु स्थाई तथा अस्थाई स्टॉक का लेखांकन एक ही रजिस्टर में किया गया है।
4. इन त्रुटियों के सन्दर्भ में पिछले कई वर्षों से अंकेक्षण द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज की गई है परन्तु नगर परिषद् द्वारा अभी तक अनुपालना हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया है।

अतः उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करके कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लाते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

16. लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

17. निष्कर्षः— लेखों के रख—रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / —

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0) (V) 36/2012 खण्ड—4—8620—8621 दिनांक 08.11.23, शिमला—171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0, शिमला—171002 को पैरा संख्या 1 (ख) वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

हस्ता / —
(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
0177—2620881

परिशिष्ट (1) <u>संख्या 1 (घ) में सन्दर्भित</u>

नगर परिषद बिलासपुर के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1959 से 03/1960 तक

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	पैरा–9	निर्णीत	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया जाना तथा ₹1000/– की अग्रिम राशि का समायोजन	₹1000/– की वसूली की पुष्टि रसीद संख्या 473/63 दिनांक 07.08.2023 से कर ली गई। इसके अतिरिक्त वर्तमान में की जा अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1971 से 03/1972 तक

1	पैरा–1	निर्णीत	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से चुंगी की ₹17142/– की वसूली शेष।	आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इस राशि का अद्यतन करके आपत्ति प्रारूपित किये जाने तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा–7	निर्णीत	गुम हुये ट्रान्ज़िट पासों के लिये ₹15762/– की वसूली शेष।	आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इस राशि का अद्यतन करके आपत्ति प्रारूपित किये जाने तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
3	पैरा–8	निर्णीत	री–एक्सपोर्ट पास के लिये ₹4312/– की वसूली शेष।	आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इस राशि का अद्यतन करके आपत्ति प्रारूपित किये जाने तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1972 से 03/1974 तक

	टिप्पणीः—परिशिष्ट "62" **अवधि 04/1981 से 03/1983 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत किये गये अनुच्छेदों के विवरणानुसार अवधि 04/1972 से 03/1974 के सभी मुख्य अनुच्छेद निर्णीत किये जा चुके हैं तथा केवल लघु आपत्ति विवरणिका की अपत्ति क्रमाँक 1 (जी) शेष है।** **परन्तु अवधि 04/1983 से 03/1984 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत किये गये अनुच्छेदों के विवरण में इसे लघु आपत्ति विवरणिका की आपत्ति क्रमाँक 1 से 23 टंकित किया गया था जो कि भविष्य में टंकण चूक के कारण मुख्य प्रतिवेदन के अनुच्छेद 1 से 23 बन गया है।** **जबकि वास्तव इस अवधि के लिये मात्र लघु आपत्ति विवरणिका की अपत्ति क्रमाँक 1 (जी) की ही अनुपालना शेष है।**			
1	पैरा—1 से 23	निर्णीत	विवरण उपरोक्तानुसार	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।

(घ) सहायक परीक्षक की दिनांक 03.12.1976 की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा—7	निर्णीत	परिषद् में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को भुगतान के विरूद्ध 1/3 भाग सरकारी कोष में जमा करवाने का अभिलेख वांछित है।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा—8 (बी) (2)	निर्णीत	श्री ब्रह्म दत्त स्टैनो को बिना बजट के फीस का भुगतान	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने के आधार पर निर्णीत।

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1974 से 03/1979 तक

1	पैरा—8 (2) (बी) (7)	निर्णीत	गुम हुये ट्रान्ज़िट पासों के लिये ₹4725/— की वसूली शेष।	आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदन में इस राशि का अद्यतन करके आपत्ति प्रारूपित किये जाने तथा कार्यकारी

				अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा–11	निर्णीत	विश्राम गृह सिटी क्लब को किराये पर दिये जाने तथा बिजली खपत का औचित्य	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर निर्णीत।
3	पैरा–12 (ए) (7)	निर्णीत	वाउचर संख्या 3 व 4 मास 10/76 द्वारा बिजली का सामान अधिक मात्रा में खरीदने का औचित्य	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
4	पैरा–12 (ए) (8)	निर्णीत	वाउचर संख्या 19 मास 10/76 द्वारा जारी विज्ञापन का अभिलेख प्रस्तुत करने बारे।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1979 से 03/1981 तक

(अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करवाया गया)

1	*पैरा–3(बी) (1)*	*अनिर्णीत*		
2	*पैरा–3(बी) (4)*	*अनिर्णीत*		
3	*पैरा–3 (सी) (2)*	*अनिर्णीत*		
4	*पैरा–5*	*अनिर्णीत*		
5	*पैरा–7 (ए) (2) से (5)*	*अनिर्णीत*		
6	*पैरा–8 (बी)*	*अनिर्णीत*		
7	*पैरा–10 (1)व (2)*	*अनिर्णीत*		

8	*पैरा–11*	*अनिर्णीत*		
9	*पैरा–12 (3) से (5)*	*अनिर्णीत*		
10	*पैरा–13 (ए) से (ई)*	*अनिर्णीत*		
11	*पैरा–13 (एच) व 13 (आई)*	*अनिर्णीत*		
12	*पैरा–15 (2)*	*अनिर्णीत*		
13	*पैरा–15 (4) (ए)*	*अनिर्णीत*		
14	*पैरा–15 (4) (बी)*	*अनिर्णीत*		
15	*पैरा–15 (7)*	*अनिर्णीत*		
16	*पैरा–15 (10)*	*अनिर्णीत*		

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1981 से 3/1983 तक

1	पैरा–5 (ए) (1)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
2	पैरा–5 (ए) 8	निर्णीत	अनियमित रूप से अनुदान को मूल उद्देश्य के स्थान पर अन्य कार्य हेतु व्यय करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने व वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
3	पैरा–6 (1)	निर्णीत	चुंगी का बकाया ₹271080/– वसूली हेतु शेष	आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदन में इस राशि का अद्यतन करके आपत्ति प्रारूपित किये जाने तथा कार्यकारी

				अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
4	पैरा–6 (2)	निर्णीत	सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग से चुंगी का बकाया ₹271080/– वसूली हेतु शेष	आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदन में इस राशि का अद्यतन करके आपत्ति प्रारूपित किये जाने तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
5	पैरा–6 (3)	निर्णीत	गुम हुये ट्रान्ज़िट पासों के लिये ₹22367/– की वसूली शेष।	आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदन में इस राशि का अद्यतन करके आपत्ति प्रारूपित किये जाने तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
6	पैरा–6 (4)	निर्णीत	बकाया चुंगी की ₹341/– को अनियमित रूप से माफ करना	₹341/– की वसूली की पुष्टि रसीद संख्या 473/64 दिनांक 07.08.2023 से कर ली गई।
7	***पैरा–10 (1)***	***अनिर्णीत***	***₹7152/– मानदेय का सरकारी कर्मचारियों को अधिक भुगतान***	
8	***पैरा–10 (2)***	***अनिर्णीत***	***श्री हबीब मोहम्मद को कनिष्ठ अभियन्ता को अनियमित भुगतान तथा पांच वर्ष तक सेवा बाध्यता के ₹5000/– के बॉन्ड में से ₹4061/– की वसूली न करना***	
9	पैरा–11 (डी)	निर्णीत	निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने पर ₹475/– प्रतिभूति राशि की कटौती न करना।	₹475/– की वसूली की पुष्टि रसीद संख्या 473/65 दिनांक 07.08.2023 से कर ली गई।
10	***पैरा–11 (एफ)***	***अनिर्णीत***	***श्री जगदीश चन्द संविदाकार को निर्माण कार्य में ₹1521/– का***	

			अधिक भुगतान	
11	पैरा–12	निर्णीत	बजट प्रावधान से अधिक व्यय करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने के आधार पर निर्णीत।

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1983 से 03/1984 तक

1	पैरा–5 (1)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
2	पैरा–5 (8)	निर्णीत	अनुदान व्यय की अवधि में बढ़ौतरी वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने व वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
3	पैरा–9 (7)	निर्णीत	चौकीदार से बिजली खपत की कटौती न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
4	पैरा–9 (8) (बी)	निर्णीत	प्रशासक की सरकारी जीप में तेल भरने के लिये ₹350/– का अनियमित भुगतान	₹350/– की वसूली की पुष्टि रसीद संख्या 473/66 दिनांक 07. 08.2023 से कर ली गई।

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1984 से 03/1985 तक

1	पैरा–5 (1)	निर्णीत	लोक निर्माण विभाग को जारी अग्रिमों के उपयोगिता प्रमाण पत्र वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा–5 (6)	निर्णीत	अनुदान व्यय की अवधि में बढ़ौतरी वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने के

				आधार पर निर्णीत।
3	पैरा–10 (ए)	निर्णीत	विश्राम गृह के किराये की ₹100/– की वसूली न करना	₹100/– की वसूली की पुष्टि रसीद संख्या 473/85 दिनांक 16.08.2023 से कर ली गई।
4	पैरा–13 (डी)	निर्णीत	मस्ट्रौल भरने में औपचारिकताओं का पालन न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने के आधार पर निर्णीत।
5	पैरा–14 (डी)	निर्णीत	₹4355/– के भुगतान की व्यय स्वीकृति वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने के आधार पर निर्णीत।
6	पैरा–14 आई (1) व (2)	निर्णीत	वाउचर संख्या 11 मास 10/84 द्वारा बिजली का सामान खरीदने में औपचारिकताएँ वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने के आधार पर निर्णीत।
7	पैरा–14 (एल)	निर्णीत	वाउचर संख्या 1(34) मास 11/84 द्वारा स्टॉक/सामान खरीदने हेतु तीन कर्मचारियों के जाने का औचित्य वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने के आधार पर निर्णीत।

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1985 से 03/1986 तक

1	पैरा–3 (बी)	निर्णीत	निवेश का विवरण	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
2	पैरा–5 (ए)	निर्णीत	अनुदान व्यय की अवधि में बढ़ौतरी वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने व वर्तमान में की जा अनुपालना के

				आधार पर निर्णीत।
3	पैरा–5 (बी)	निर्णीत	निर्माण कार्य समय पर पूरा न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
4	पैरा–5 (सी)	निर्णीत	निक्षेप निर्माण कार्य समय पर पूरा न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
5	पैरा–5 (डी)	निर्णीत	कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
6	पैरा–5 (ई)	निर्णीत	अनुदान व्यय की अवधि में बढ़ौतरी वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
7	पैरा–5 (एफ)	निर्णीत	अनुदान व्यय की अवधि में बढ़ौतरी वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
8	पैरा–5 (जी)	निर्णीत	निर्माण कार्य समय पर आरम्भ न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
9	पैरा–5 (एच)	निर्णीत	लोक निर्माण विभाग से उपयोगिता प्रमाणपत्र वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर

				निर्णीत।
10	पैरा–5(आई)	निर्णीत	अनुदान को समय पर व्यय करने बारे	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
11	पैरा–6	निर्णीत	Show tax- Laxity and delay in realization.	यह अनुच्छेद मात्र सुझावात्मक था जिसे पहले ही निर्णीत किया जा चुका है। मूल प्रतिवेदन में अनुच्छेद 6 का कोई भी उप–अनुच्छेद नहीं है तथा इसके साथ टंकित (7, 9, 10) वास्तव में स्वतन्त्र अनुच्छेद हैं।
12	पैरा–7	निर्णीत	चुंगी का बकाया वसूली हेतु शेष	दिनांक 01.04.1982 को चुगी समाप्त किये जाने के दृष्टिगत तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
13	पैरा–9	निर्णीत	दुकानों की नीलामी बारे	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
14	पैरा–10	निर्णीत	धौलरा विश्राम गृह के किराये की वसूली शेष	डी ए वी स्कूल द्वारा भवन खाली करने के पश्चात कुल देय किराया 2,26,000/– की वसूली किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
15	पैरा–16 (बी)	निर्णीत	₹950/– के व्यय के नियमतीकरण बारे	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
16	***पैरा–17 (बी)***	***अनिर्णीत***	***30 सीमेन्ट बोरियों की ₹1905/– की वसूली श्री किरपू राम संविदाकार से शेष***	

17	पैरा–17 (डी)	निर्णीत	सीमेन्ट की वसूली श्री रतन चन्द संविदाकार से कम दर पर करना	₹110/– की वसूली की पुष्टि रसीद संख्या 473/67 दिनांक 07.08.2023 से कर ली गई।
18	पैरा–18 (ए)	निर्णीत	बजट प्रावधान से अधिक व्यय करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने व वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
19	पैरा–18 (बी)	निर्णीत	बजट प्रावधान से कम व्यय करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा उस समय के अभिलेख को Weed Out करने व वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
20	पैरा–20 (बी) (सी) (ई) (एफ) (जी)	निर्णीत	स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1986 से 03/1987 तक

1	पैरा–11 (20)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य दिनांक 25.09.86 ₹21854/– में ₹258/– अधिक भुगतान तथा औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	₹258/– की वसूली की पुष्टि रसीद संख्या 473/72 दिनांक 09.08.2023 द्वारा करने, कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा–11 (21)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य दिनांक 25.09.86 ₹7342/– में औपचारिकताएँ व अभिलेख	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान

			वांछित	में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
3	पैरा–11 (24) (ए, बी)	निर्णीत	वाउचर संख्या 10 दिनांक 23.12.86 ₹16384/– में औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
4	पैरा–11 (25)	निर्णीत	वाउचर संख्या 10 दिनांक 23.12.86 ₹16384/– में ₹27/– अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/73 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹1260/– की राशि में ₹27/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
5	पैरा–11 (26)	निर्णीत	वाउचर संख्या 8 दिनांक 13.03.87 ₹6268/– में ₹23/– अधिक भुगतान तथा औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	रसीद संख्या 473/73 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹1260/– की राशि में ₹23/– की वसूली की पुष्टि कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
6	पैरा–11 (27)	निर्णीत	वाउचर संख्या 8 दिनांक 13.03.87 ₹6268/– में औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
7	पैरा–11 (28)	निर्णीत	वाउचर संख्या 12 दिनांक 20.03.87 ₹8665/– में ₹166/– अधिक भुगतान तथा	रसीद संख्या 473/73 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹1260/– की

			औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	राशि में ₹166/– की वसूली की पुष्टि, कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
8	पैरा–11 (29) (ए, बी, सी)	निर्णीत	वाउचर संख्या 12 दिनांक 20.03.87 ₹8665/– में ₹60/– अधिक भुगतान तथा औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	रसीद संख्या 473/73 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹1260/– की राशि में ₹60/– की वसूली की पुष्टि, कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
9	पैरा–11 (30)	निर्णीत	वाउचर संख्या 18 दिनांक 31.03.87 ₹21785/– में ₹460/– अधिक भुगतान तथा औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	रसीद संख्या 473/73 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹1260/– की राशि में ₹460/– की वसूली की पुष्टि, कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
10	पैरा–12	निर्णीत	कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण में विविध अनियमितताएँ	कृत अनुपालना के सत्यापन तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
11	पैरा–13	निर्णीत	श्री अमजद हुसैन चुंगी लिपिक से 524/– की वसूली शेष	रसीद संख्या 473/73 दिनांक 09.

				08.2023 द्वारा कुल ₹1260/– की राशि में ₹524/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
12	पैरा–17	निर्णीत	धौलरा विश्राम गृह के किराया वसूली बारे।	डी ए वी स्कूल द्वारा भवन खाली करने के पश्चात कुल देय किराया 2,26,000/– की वसूली किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1989 तक

1	पैरा–15 (1) (क, ख)	निर्णीत	₹1787/– की वसूली शेष	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की राशि में ₹1787/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
2	पैरा–16 (3)	निर्णीत	यूथ हॉस्टल निर्माण में अनियमितताएँ	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
3	पैरा–16 (4) (1)	निर्णीत	पशुबधशाला निर्माण में औपचारिकताओं में अनियमितताएँ	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
4	पैरा–16 (4) (2) (क, ख)	निर्णीत	पशुबधशाला निर्माण में ₹192 (60+132) का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 250/63 दिनांक 04.12.2017 से ₹192/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
5	पैरा–16 (4) (3)	निर्णीत	पशुबधशाला निर्माण में अतिरिक्त मदों के निष्पादन में	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख

			अनियमितताएँ	को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
6	पैरा–16 (4) (4)	निर्णीत	पशुबधशाला निर्माण में सीमेन्ट विवरण प्रस्तुत न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
7	पैरा–16 (4) (5)	निर्णीत	पशुबधशाला निर्माण में कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
8	पैरा–16 (4) (6)	निर्णीत	पशुबधशाला निर्माण में पी एल ए खाता से ₹4673 का अधिक व्यय करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
9	पैरा–16 (4) (7)	निर्णीत	पशुबधशाला निर्माण में अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
10	पैरा–16 (5)	निर्णीत	निर्माण कार्य बिल में ₹209 का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 250/63 दिनांक 04.12.2017 से ₹209/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
11	पैरा–16 (6) (क)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 9/88 ₹2624/– निर्माण कार्य निष्पादन में अनियमितताएँ	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान

				में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
12	पैरा–16 (6) (ख) (1)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 9/88 द्वारा ₹449/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की राशि में ₹449/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
13	पैरा–16 (6) (ख) (2)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 9/88 द्वारा ₹332/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की राशि में ₹332/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
14	पैरा–16 (7) (क) (1)	निर्णीत	धौलरा विश्राम गृह के पहले फर्श का निर्माण – ₹433/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की राशि में ₹433/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
15	पैरा–16 (7) (क) (2)	निर्णीत	धौलरा विश्राम गृह के पहले फर्श का निर्माण – ₹696/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की राशि में ₹696/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
16	पैरा–16 (7) (क) (3)	निर्णीत	धौलरा विश्राम गृह के पहले फर्श का निर्माण में सीमेन्ट विवरण प्रस्तुत न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
17	पैरा–16 (8) (क, ख)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 3/88 द्वारा ₹38/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की राशि में ₹38/– की वसूली की

				पुष्टि कर ली गई।
18	पैरा–16 (9)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 3/88 ₹2964/– औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
19	पैरा–16 (10)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 3/88 ₹5087/– औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
20	पैरा–16 (11)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 3/88 ₹2771/– औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
21	पैरा–16 (12) (क, ख, ग)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 10/88 द्वारा ₹131/– (106+25) का अधिक भुगतान तथा अभिलेख वांछित	रसीद संख्या 250/28 दिनांक 24. 11.2017 से ₹106/– तथा **250/28 दिनांक 24.11.2017 से ₹25/–** की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
22	पैरा–16 (13) (क)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 03/89 द्वारा ₹111/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 250/63 दिनांक 4.12. 2017 से ₹111/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
23	पैरा–16 (13) (ख)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 03/89 द्वारा ₹340/– के सीमेन्ट की कम वसूली	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09. 08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की

				राशि में ₹340/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
24	पैरा–16 (14) (क)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 03/89 द्वारा ₹22/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 250/29 दिनांक 24. 11.2017 से ₹22/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
25	पैरा–16 (14) (ख)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 03/89 ₹10459/– सीमेन्ट विवरण प्रस्तुत न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
26	पैरा–16 (14) (ग)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 03/89 ₹10459/– से सीमेन्ट बैगों की ₹680/– की वसूली शेष	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09. 08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की राशि में ₹680/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
27	पैरा–16 (14) (घ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 03/89 ₹10459/– से पत्थरों की ₹171/– की वसूली शेष	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09. 08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की राशि में ₹171/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
28	पैरा–16 (15) (क, ख, ग)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 9/88 ₹117584/– औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
29	पैरा–16 (15) (घ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 9/88 ₹117584/– में ₹263/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09. 08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की राशि में ₹263/– की वसूली की

				पुष्टि कर ली गई।
30	पैरा–16 (15) (ङ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 9/88 ₹117584/– औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
31	पैरा–16 (15) (च)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 9/88 ₹117584/– में ₹1764/– पानी प्रभार की वसूली न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
32	पैरा–16 (15) (छ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 9/88 ₹117584/– में सीमेन्ट विवरण प्रस्तुत न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
33	पैरा–16 (16) (क, ख, ग)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 5/88 ₹42091/– औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
34	पैरा–16 (16) (घ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 5/88 ₹42091/– में ₹55/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09.08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की राशि में ₹55/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
35	पैरा–16 (16) (ङ, च, छ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 5/88 ₹42091/– औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर

				निर्णीत।
36	पैरा–16 (17) (क, ख, ग)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 10/87 ₹11196/– औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
37	पैरा–16 (18) (क, ख, ग)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 4/88 ₹23468/– औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
38	पैरा–16 (19)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 7/87 ₹20411/– औपचारिकताएँ व अभिलेख वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
39	पैरा–16 (20)	निर्णीत	रोड़ रोलर के इस्तेमाल में अनियमितताएँ	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
40	पैरा–16 (21) (क, ख)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 10/87 ₹30497/– में सीमेन्ट विवरण प्रस्तुत न करना तथा ₹413/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/74 दिनांक 09. 08.2023 द्वारा कुल ₹5657/– की राशि में ₹413/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
41	पैरा–16 (22)	निर्णीत	मस्ट्रौल भुगतान में अनियमितताएँ	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख

				को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
42	पैरा–16 (23)	निर्णीत	सीमेन्ट स्टॉक अनुरक्षण में अनियमितताएँ	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
43	***पैरा–17 {1, 2, 3(क, ख, ग, घ, ङ, ट, ठ) 4, 5, 6, 7(क, ख, ग, घ), 8}***	***अनिर्णीत***	***कामकाजी महिला हॉस्टल के निर्माण में अनियमितताएँ***	
44	पैरा–19	निर्णीत	निर्माण कार्य के स्टॉक तथा एम ए एस रजिस्टरों के अनुरक्षण में अनियमितताएँ	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
45	पैरा–20 (1)	निर्णीत	अस्थाई अग्रिम भुगतान रजिस्टर के अनुरक्षण में अनियमितताएँ	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
46	पैरा–20 (2)	निर्णीत	अस्थाई अग्रिम भुगतानों का विवरण व अभिलेख वांछित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
47	पैरा–20 (3) (ख)	निर्णीत	अस्थाई अग्रिम भुगतान की शेष राशि को निधि के स्थान पर पी एल ए खाता में जमा करवाना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
48	पैरा–20 (4)	निर्णीत	अनुदान राशि का दुरूपयोग	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत

				स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
49	***पैरा–22 (7)***	***अनिर्णीत***	***कोसरियाँ विश्राम गृह को किराये पर देने बारे***	
50	***पैरा–23 (1)***	***अनिर्णीत***	***ट्रक नम्बर एच आई बी 580 का प्रयोग अन्य सरकारी व गैर सरकारी कार्यों के लिये करना***	
51	पैरा–24 (1)	निर्णीत	नलवाड़ मेले अनियमित कर वसूली	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
52	पैरा–24 {2(क)}	निर्णीत	बिजली विभाग को अनियमित ₹163/– का भुगतान	रसीद संख्या 473/75 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹350/– की राशि में ₹163/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
53	पैरा–24 {2(ख)}	निर्णीत	स्टॉक रजिस्टर के अनुरक्षण में अनियमितता	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
54	पैरा–24 {3(क)}	निर्णीत	बिजली विभाग को अनियमित ₹187/– का भुगतान	रसीद संख्या 473/75 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹350/– की राशि में ₹187/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।

55	पैरा–24 {3(ख)}	निर्णीत	प्रहलाद् दास को ₹1917 / – के भुगतान में अनियमितता	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
56	पैरा–24 {3(ग)}	निर्णीत	रूप आयरन स्टोर को ₹2138 / – के भुगतान में अनियमितता	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
57	पैरा–24 {3(घ)}	निर्णीत	एम एस फ्लैट कलैम्पों की खरीद में अनियमितता	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
58	पैरा–24 {3(ङ)}	निर्णीत	नलवाड़ मेले के लिये बजट प्रावधान से अधिक व्यय	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
59	पैरा–24 {3(च)}	निर्णीत	एडवांस राशि के शेष को समय पर जमा न करवाना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उस समय के अभिलेख को Weed Out करने तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
60	पैरा–24 {3(छ)}	निर्णीत	विभिन्न सरकारी विभागों से से स्टॉल किराया वसूली बारे	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 03/1994 तक

1	पैरा–11 (क)	निर्णीत	पशुबध फीस की ₹2472 की वसूली शेष	रसीद संख्या 473/78 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹2499/– की राशि में ₹2472/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
2	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	पशुबध फीस की ₹27 की वसूली शेष	रसीद संख्या 473/78 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹2499/– की राशि में ₹27/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
3	पैरा–13 (क)	निर्णीत	नक्शा फीस की ₹6921 की वसूली शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
4	पैरा–14 (क)	निर्णीत	नलवाड़ी मेले में विभिन्न सरकारी विभागों से से स्टॉल किराया वसूली बारे	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
5	पैरा–14 (ख)	निर्णीत	नलवाड़ी मेले से जमीन किराया आय की ₹105 की कम वसूली	रसीद संख्या 473/76 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1836/– की राशि में ₹105/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
6	पैरा–14 (ग)	निर्णीत	₹11 की आय को निधि में कम जमा करवाना	रसीद संख्या 473/76 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1836/– की राशि में ₹11/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
7	पैरा–25 (क)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 3/90 ₹1683/– में ₹419/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/76 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1836/– की राशि में ₹419/– की वसूली की

				पुष्टि कर ली गई।
8	पैरा–28 (क)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 6/90 ₹56877/– में ₹147/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/76 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1836/– की राशि में ₹147/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
9	पैरा–28 (ख)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 6/90 ₹56877/– में ₹200/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/76 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1836/– की राशि में ₹200/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
10	***पैरा–28 (ग)***	***अनिर्णीत***	***वाउचर संख्या शून्य मास 6/90 ₹56877/– में श्री कपूरू राम, संविदाकार को ₹2405/– का अधिक भुगतान***	
11	पैरा–28 (घ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 6/90 ₹56877/– में औपचारिकताएँ वांछित	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
12	पैरा–29 (ख)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 12/90 ₹1064/– में ₹146/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/76 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1836/– की राशि में ₹146/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
13	पैरा–29 (ग)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 12/90 ₹1064/– में अभिलेख वांछित	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
14	***पैरा–34 (क)***	***अनिर्णीत***	***वाउचर संख्या शून्य मास 3/94 में ₹966/– का अधिक भुगतान***	
15	पैरा–34 (ख)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 3/94 ₹385/– में ₹270/– का	रसीद संख्या 473/76 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1836/– की

			अधिक भुगतान	राशि में ₹270/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
16	पैरा–34 (ग)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 3/94 ₹385/– में ₹46/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/76 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1836/– की राशि में ₹46/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
17	पैरा–41	निर्णीत	कामकाजी महिला छात्रावास के लिये पलिका निधि से ₹7000 का भुगतान करना	कृत अनुपालना का सत्यापन तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
18	पैरा–48 (क)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 6/89 ₹6257/– में औपचारिकताएँ वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
19	पैरा–48 (ख)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 6/89 ₹6257/– में ₹3877/– का अधिक भुगतान	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
20	पैरा–48 (ग)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 6/89 ₹6257/– में ₹492/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/76 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1836/– की राशि में ₹492/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1997 तक

1	पैरा–13 (त)	निर्णीत	वाउचर संख्या 10 मास 5/94 ₹19395/– में सचिव द्वारा आहरित अग्रिम लेखा तथा सीमेन्ट स्टॉक का अभिलेख वांछित	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
2	पैरा–13 (ध)	निर्णीत	वाउचर संख्या 12 मास 9/96	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

			₹31217 / – में स्टॉक खपत का अभिलेख वांछित	
3	पैरा–13 (न)	निर्णीत	विभागीय स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों के अभिलेख अनुरक्षण में अनियमितता	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
4	पैरा–13 (प)	निर्णीत	वाउचर संख्या 3 मास 5 / 94 ₹26598 / – निर्माण कार्य निष्पादन में औपचारिकताओं का पालन न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
5	पैरा–13 (फ)	निर्णीत	वाउचर संख्या 6 मास 5 / 94 ₹15462 / – निर्माण कार्य निष्पादन में औपचारिकताओं का पालन न करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
6	पैरा–13 (ब) (i) से (v)	निर्णीत	वाउचर संख्या 4(1) मास 3 / 95 ₹4100 / – में ₹149 / – का अधिक भुगतान तथा औपचारिकताओं का पालन न करना।	रसीद संख्या 473 / 77 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1968 / – की राशि में ₹149 / – की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
7	पैरा–13 (भ)	निर्णीत	वाउचर संख्या 9 मास 3 / 95 ₹6345 / – में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
8	पैरा–13 (म) (1 से 3)	निर्णीत	वाउचर संख्या 4(2) मास 3 / 95 ₹3625 / – में ₹575 / – के सीमेन्ट की वसूली शेष तथा औपचारिकताओं का पालन न	रसीद संख्या 473 / 77 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1968 / – की राशि में ₹575 / – की वसूली की पुष्टि कर ली गई।

			करना।	
9	पैरा–13 (य) (1 से 2)	निर्णीत	वाउचर संख्या 2 मास 3/95 ₹16257/– में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
10	पैरा–13 (र) (1 से 4)	निर्णीत	वाउचर संख्या 5 मास 7/95 ₹5233/– में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
11	पैरा–13 (ल) (1 से 4)	निर्णीत	वाउचर संख्या 19 मास 7/95 ₹10395/– में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
12	पैरा–13 (व) (1 से 4)	निर्णीत	वाउचर संख्या 14 मास 3/96 ₹3507/– में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
13	पैरा–13 (स) (1 से 3)	निर्णीत	वाउचर संख्या 2 मास 9/96 ₹10920/– में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
14	पैरा–13 (ष) (1 से 3)	निर्णीत	वाउचर संख्या 15 मास 9/96 ₹4206/– में ₹270/– के सीमेन्ट की वसूली शेष तथा औपचारिकताओं का पालन न करना।	रसीद संख्या 473/77 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹1968/– की राशि में ₹270/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
15	पैरा–13 (श)	निर्णीत	वाउचर संख्या 2 मास 3/97	रसीद संख्या 473/77 दिनांक 10.

	(1 से 4)		₹11292/– में ₹540/– के सीमेन्ट की वसूली शेष तथा औपचारिकताओं का पालन न करना।	08.2023 द्वारा कुल ₹1968/– की राशि में ₹540/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
16	पैरा–13 (ह)	निर्णीत	वाउचर संख्या 10 मास 3/97 ₹3478/– में प्रतिभूति वापिस करने का अभिलेख वांछित	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
17	पैरा–13 (क्ष)	निर्णीत	वाउचर संख्या 9 मास 3/97 ₹5762/– में ₹434/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/77 दिनांक 10. 08.2023 द्वारा कुल ₹1968/– की राशि में ₹434/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1997 से 03/2004 तक

1	*पैरा–3 (ग) 1 (क) से (ग)*	*अनिर्णीत*	*सावधि निवेश पर हि प्र रा सह बैंक से ₹99852/– (27959+37609 +9945+24339) ब्याज की कम वसूली।*	
2	*पैरा–3 (ग) (3)*	*अनिर्णीत*	*सावधि निवेश पर भारतीय स्टेट बैंक से ₹33028/– ब्याज की कम वसूली।*	
3	*पैरा–7 (क)*	*अनिर्णीत*	*विश्राम गृह से ₹65230/– किराये की कम वसूली।*	
4	*पैरा–7 (ङ)*	*अनिर्णीत*	*टाउन हॉल से ₹13340/– किराये की कम वसूली।*	
5	*पैरा–7 (च)*	*अनिर्णीत*	*टाउन हॉल से ₹8370/– किराये की कम वसूली।*	
6	पैरा–12 (ण)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 5/02	रसीद संख्या 473/80 दिनांक 10.

			द्वारा ₹795/– का अनुचित भुगतान	08.2023 द्वारा कुल ₹2807/– की राशि में ₹795/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
7	*पैरा–12 (ध)*	*अनिर्णीत*	*वाउचर संख्या शून्य मास 3/2000 द्वारा श्री प्रोमिल शर्मा, संविदाकार को प्रतिभूति राशि ₹1200/– का अनुचित भुगतान*	
8	पैरा–14 (क) (1) से (15)	निर्णीत	निर्माण कार्य निष्पादन में अनियमितताएँ	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
9	पैरा–14 (ख)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 3/2000 – मस्टरोल में अनियमितताएँ	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
10	पैरा–14 (ग)	निर्णीत	निर्माण कार्य निष्पादन में ₹8972/– के भुगतान बारे स्पष्टीकरण वांछित	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण आधार पर निर्णीत।
11	पैरा–14 (घ)	निर्णीत	सीमेन्ट के खाली बैगों की की कटौती बारे	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण आधार पर निर्णीत।
12	पैरा–14 (ङ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 4/97 मु• ₹8180/– निर्माण कार्य निष्पादन में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
13	पैरा–14 (ज) (1 से 5)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 3/98 मु• ₹15096/– निर्माण कार्य	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में

			निष्पादन में औपचारिकताओं का पालन न करना।	की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
14	पैरा–14 (झ)	निर्णीत	निर्माण कार्य निष्पादन में श्री राम रत्न, संविदाकार को ₹1201/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/87 दिनांक 21.08.2023 द्वारा कुल ₹2807/– की राशि में ₹1699/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
15	पैरा–14 (ञ) (1 से 4)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 6/98 मु• ₹6798/– निर्माण कार्य निष्पादन में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
16	पैरा–14 (ट) (1 से 3)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 1/99 मु• ₹20329/– निर्माण कार्य निष्पादन में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
17	पैरा–14 (ड) 1, 2	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 1/98 मु• ₹13549/– निर्माण कार्य निष्पादन में विविध अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
18	पैरा–14 (ढ) 1, 2	निर्णीत	निर्माण कार्य निष्पादन में ₹41/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/79 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹501/– की राशि में ₹41/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
19	पैरा–14 (ण)	निर्णीत	ऐग्रीगेट खरीद में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
20	पैरा–14 त	निर्णीत	मस्ट्रौल भुगतान में	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत

			औपचारिकताओं का पालन न करना।	स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
21	पैरा–14 थ (1 व 2)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 8/2000 मु• ₹39745/– निर्माण कार्य निष्पादन में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
22	पैरा–14 द	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 2/01 मु• ₹95318/– निर्माण कार्य निष्पादन में विविध अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
23	पैरा–14 ध (1 से 3)	निर्णीत	निर्माण कार्य निष्पादन में ₹23/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/79 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹501/– की राशि में ₹23/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
24	पैरा–14 न (1, 2)	निर्णीत	निर्माण कार्य निष्पादन में ₹315/– का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/79 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹501/– की राशि में ₹315/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
25	पैरा–14 प	निर्णीत	निर्माण सामग्री के स्थानान्तरण में अनियमितताएँ	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
26	***पैरा–14 फ (1)***	***अनिर्णीत***	***निर्माण सामग्री वास्तविक ईश्यू दर से कम पर जारी करके ₹82371/– की कम वसूली***	
27	***पैरा–14 फ (2)***	***अनिर्णीत***	***विभागीय कार्य के लिये तारकोल जारी करने में औपचारिकताओं का पालन न करना तथा खाली***	

			ड्रमों की ₹50/– प्रति की दर से ₹11250/– की वसूली शेष।	
28	पैरा–14 ब (1 से 3)	निर्णीत	निर्माण कार्य निष्पादन में ₹1699/– का अधिक भुगतान तथा औपचारिकताओं का पालन न करना।	रसीद संख्या 473/87 दिनांक 21. 08.2023 द्वारा कुल ₹2807/– की राशि में ₹1699/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
29	पैरा–14 भ (1 से 3)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 5/2002 मु• ₹21149/– निर्माण कार्य निष्पादन में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
30	पैरा–14 म (1 से 3)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 5/2002 मु• ₹9984/– निर्माण कार्य निष्पादन में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
31	पैरा–14 य (1 से 4)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 6/2003 मु• ₹46766/– निर्माण कार्य निष्पादन में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
32	***पैरा–14 र***	***अनिर्णीत***	***निर्माण कार्य का निष्पादन देरी से करने पर दण्ड राशि ₹19198/– की वसूली न करना***	
33	***पैरा–14 ल***	***अनिर्णीत***	***निर्माण कार्य बिलों से आयकर अधिभार ₹26063 की वसूली न करना***	
34	पैरा–14 व	निर्णीत	लूहनू क्रिकेट स्टेडियम निर्माण में अनियमितताएँ तथा दोषी कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई	चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट बिलासपुर के न्यायालय में वाद संख्या 72/2 of 2016/06,

			बारे।	82865/2013 में दिनांक 29.08.2020 को इन कर्मचारियों को दोषमुक्त करते हुये दिये गये निर्णय के आधार पर निर्णीत।
35	पैरा–16 (क)	निर्णीत	निस्प्रयोजन वाहनों की नीलामी न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
36	पैरा–16 (ख	निर्णीत	वाहनों की मुरम्मत पर पुराने कलपुर्जों को रजिस्टर में दर्ज न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
37	पैरा–16 (ग)	निर्णीत	समायोजित अग्रिम में ₹170 की वसूली शेष	रसीद संख्या 473/80 दिनांक 10. 08.2023 द्वारा कुल ₹2807/– की राशि में ₹170/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
38	पैरा–16 (घ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 4/97 मु• ₹5092/– वाहन मुरम्मत में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
39	पैरा–16 (ङ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 4/97 मु• ₹7047/– वाहन की मुरम्मत पर पुराने कलपुर्जों को रजिस्टर में दर्ज न करना	कृत अनुपालना के सत्यापन, कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
40	पैरा–16 (च)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 3/98 मु• ₹27420/– वाहन मुरम्मत में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कृत अनुपालना के सत्यापन, कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।

41	पैरा–16 (छ)	निर्णीत	ईंधन की प्रविष्टियाँ लॉग बुक में न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
42	पैरा–16 (ज)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 7/99 मु• ₹8468/– वाहन मुरम्मत में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कृत अनुपालना के सत्यापन, कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
43	पैरा–16 (झ)	निर्णीत	वाहन की बैटरी की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
44	पैरा–16 (ञ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 7/2000 मु• ₹15930/– वाहन मुरम्मत में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कृत अनुपालना के सत्यापन, कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
45	पैरा–16 (ट)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 3/2001 मु• ₹125/– वाहन मुरम्मत में ₹125/– की वसूली शेष	रसीद संख्या 473/79 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹501/– की राशि में वसूली योग्य वास्तविक राशि ₹122/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
46	पैरा–16 (ठ)	निर्णीत	वाउचर संख्या शून्य मास 6/2001 मु• ₹4515/– वाहन मुरम्मत में औपचारिकताओं का पालन न करना।	कृत अनुपालना के सत्यापन, कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, अभिलेख तथा वर्तमान में की जा अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
47	***पैरा–16 (ड)***	***अनिर्णीत***	***वाहनों में तेल की अधिक खपत***	
48	***पैरा–16 (ढ)***	***अनिर्णीत***	***निजि यात्राएँ***	
49	पैरा–17 (ग)	निर्णीत	₹550/– की वसूली शेष	रसीद संख्या 473/80 दिनांक 10.

	(2)			08.2023 द्वारा कुल ₹2807/– की राशि में ₹550/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
50	पैरा–17 (ग) (3)	निर्णीत	₹522/– की वसूली शेष	रसीद संख्या 473/80 दिनांक 10. 08.2023 द्वारा कुल ₹2807/– की राशि में ₹522/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
51	पैरा–17 (ग) (4)	निर्णीत	₹770/– की वसूली शेष	रसीद संख्या 473/80 दिनांक 10. 08.2023 द्वारा कुल ₹2807/– की राशि में ₹770/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2007 तक

1	पैरा–5 (ix)	निर्णीत	चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के सन्दर्भ में	श्री वासुदेव सेवादार के अतिरिक्त बचे शेष अन्य कर्मचारियों से की गई वसूली का सत्यापन मूल अभिलेख से निम्न विवरणानुसार कर लिया गयाः– 1. श्री रामपाल, बेलदार ₹677/– वेतन बिल माह 08/2023 2. श्री राजेश चौधरी, बेलदार ₹947/– वेतन बिल माह 08/2023 3. श्री पवन कुमार, लिपिक ₹677/– पैन्शन बिल माह 08/2023 4. श्री सुखराम, बेलदार ₹4763/–

				वेतन बिल माह 08/2023 5. श्री कुलदीप चन्द, बेलदार ₹453/– रसीद संख्या 473/91 दिनांक 28.08.2023 6. श्री मदन लाल, बेलदार ₹4333/– पैन्शन बिल माह 08/2023 7. श्री हंसराज, कनिष्ठ सहायक ₹1090/– पैन्शन बिल माह 08/2023 8. श्री शिव राम, माली ₹256/– पैन्शन बिल माह 08/2023 9. श्री नन्द लाल, चालक ₹1211/– पैन्शन बिल माह 08/2023
2	*पैरा–6 (4)*	*अनिर्णीत*	*वाऊचर संख्या 3132 माह 03/2007 ₹31641/– में मै॰ अशोका स्टील डियारा को अधिक भुगतान।*	
3	*पैरा–7 (1 से 16)*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य*	

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2009 तक

1	*पैरा–5 (बी) (क)*	*अनिर्णीत*	*श्री बीरवल, सफाई कर्मचारी को वाउचर संख्या 29 माह 03/2008 द्वारा अवकाश वेतन में ₹10302/– का अधिक भुगतान।*	

2	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत	सक्षम अधिकारी की संशोधित स्वीकृति के बिना विभिन्न निर्माण कार्यों पर ₹817137 का अनियमित भुगतान	
3	पैरा–7 (iii)	अनिर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹134377 की अतिरिक्त कार्य मदों का भुगतान	
4	पैरा–7 (iv) (क)	अनिर्णीत	₹10975 का अधिक भुगतान– श्री देवेन्द्र सिंह संविदाकार को निर्माण कार्य में किया गया अधिक भुगतान	
5	पैरा–7 (iv) (ख)	अनिर्णीत	₹8990 का अधिक भुगतान– श्री अछरू राम संविदाकार को निर्माण कार्य में किया गया अधिक भुगतान	
6	पैरा–7 (iv) (ग)	अनिर्णीत	₹15689 का अधिक भुगतान– श्री विशाल शर्मा संविदाकार को निर्माण कार्य में किया गया अधिक भुगतान	
7	पैरा–7 (iv) (घ)	अनिर्णीत	₹13144 का अधिक भुगतान– श्री सूर्यप्रकाश संविदाकार को निर्माण कार्य में किया गया अधिक भुगतान	
8	पैरा–7 (v) (क)	अनिर्णीत	₹12034 का अधिक भुगतान– श्री अछरू राम संविदाकार को निर्माण कार्य में किया गया संदिग्ध भुगतान	

9	पैरा–7 (vi) (क) (i)	निर्णीत	श्री नरेन्द्र कुमार संविदाकार से ₹120 की वसूली शेष।	रसीद संख्या 473/81 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹407/– की राशि में ₹120/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
10	***पैरा–7 (vi) (ii)***	***अनिर्णीत***	***श्री नरेन्द्र कुमार संविदाकार से ₹3670 की वसूली शेष।***	
11	***पैरा–7 (vi) (ख) (i, ii)***	***अनिर्णीत***	***श्री देवेन्द्र सिंह संविदाकार से ₹6900 (1756+5144) की वसूली शेष।***	
12	पैरा–7 (vi) (ग)	निर्णीत	श्री हाकम चन्द संविदाकार से ₹287 की वसूली शेष।	रसीद संख्या 473/81 दिनांक 10.08.2023 द्वारा कुल ₹407/– की राशि में ₹287/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
13	***पैरा–7 (vi) (घ) (i, ii, iii)***	***अनिर्णीत***	***श्री जय पाल संविदाकार से ₹16876 (446+16170+260) की वसूली शेष।***	

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.09 से 31.03.2011 तक

1	***पैरा–9***	***अनिर्णीत***	***संविदाकार को राशि श्री यूनिस खान संविदाकार को ₹0.49 लाख का अधिक भुगतान***	
2	पैरा–9.1	निर्णीत	निर्माण सामग्री की खपत विवरणिका प्रस्तुत न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
3	पैरा–9.2	निर्णीत	संविदाकार को जारी पत्थरों के मूल्य की राशि ₹0.07 लाख की कम वसूली करना	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।

4	*पैरा–9.3*	*अनिर्णीत*	*संविदाकार को आबंटित कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण न किये जाने पर ₹0.13 लाख के दण्ड शुल्क न वसूलने बारे*	
5	*पैरा–9.4 (1)*	*अनिर्णीत*	*सक्षम अधिकारी की संशोधित स्वीकृति के बिना विभिन्न निर्माण कार्यों पर ₹0.93 लाख का अनियमित भुगतान*	
6	*पैरा–9.5*	*अनिर्णीत*	*सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹0.74 लाख की अतिरिक्त कार्य मदों का भुगतान*	
7	*पैरा–9.6*	*अनिर्णीत*	*वाऊचर संख्या 18 माह 09/2009 ₹43234/– श्री नरेन्द्र कुमार संविदाकार से ₹8044 की वसूली शेष।*	
8	पैरा–15	निर्णीत	नगर परिषद बिलासपुर की पुरानी गाड़ियों के निस्प्रयोजन होने के पश्चात समय पर नीलाम न करने बारे	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/13

1	*पैरा–8*	*अनिर्णीत*	*हिमुडा कार्यालय से अनुपयुक्त राशि ₹689368/– की वसूली न करना*	
2	*पैरा–11 (1)*	*अनिर्णीत*	*श्री नरेन्द्र कुमार संविदाकार को ₹10500 की राशि के अनियमित व गलत भुगतान बारे*	

3	*पैरा–11 (2)*	*अनिर्णीत*	*श्री नरेन्द्र कुमार संविदाकार को ₹1809 की का अधिक भुगतान*	
4	*पैरा–12*	*अनिर्णीत*	*सक्षम अधिकारी की संशोधित स्वीकृति के बिना विभिन्न निर्माण कार्यों पर ₹174103/– का अनियमित भुगतान*	
5	पैरा–13	निर्णीत	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम से 2 बैग सीमेन्ट की कम प्राप्ति जिनकी वसूली ₹392/– है।	रसीद संख्या 473/82 दिनांक 10.08.2023 द्वारा ₹392/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/13 से 3/15

1	*पैरा–6.3*	*अनिर्णीत*	*परिषद क्षेत्र में तहबाजारी को ठेके पर देने के फलस्वरूप वर्ष 2013–14 में तहबाजारी शुल्क की राशि ₹1.99 लाख की कम प्राप्ति*	
2	*पैरा–11*	*अनिर्णीत*	*₹3100 की धरोहर राशि का अनुचित भुगतान– श्री राजकुमार बन्टी संविदाकार*	
3	पैरा–12	निर्णीत	₹600 का अधिक भुगतान– श्री नरेश कुमार संविदाकार को निर्माण कार्य में किया गया अधिक भुगतान	रसीद संख्या 473/83 दिनांक 10.08.2023 द्वारा ₹600/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई।
4	*पैरा–13*	*अनिर्णीत*	*सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना राशि ₹22.56 लाख के कार्यों का निष्पादन व भुगतान करना*	

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/15 से 3/17

1	पैरा–9 (क)	निर्णीत	श्री कर्मवीर, सैनेटरी जमादार का वेतन गलत निर्धारित करने के कारण ₹3.57 लाख का अधिक भुगतान किया जाना	श्री कर्मवीर सैनेटरी जमादार को सेवानिवृति तक कुल ₹430180 का अधिक भुगतान किया गया था जिसमें से ग्रैच्यूटी भुगतान करते समय ग्रैच्यूटी रोकड़ बही पृष्ठ 38 पर दिनांक 23.01.2019 को मात्र ₹1,50,000 की वसूली की गई है। शेष ₹2,80,180 वसूली का सत्यापन 04/2020 से 08/2023 तक की पैन्शन में से किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
2	*पैरा–11*	*अनिर्णीत*	*सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹28.97 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन व भुगतान करना*	
3	*पैरा–12*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्यों में ₹7.25 लाख की विचलन (**Deviation**) राशि का सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भुगतान*	
4	*पैरा–13*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से ₹0.34 लाख के दण्ड शुल्क की वसूली न करना*	
5	पैरा–14	निर्णीत	पार्किंग का निर्माण कार्य 5 वर्ष उपरान्त भी पूर्ण न किया जाना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

(फ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/17 से 3/19

1	*पैरा 4 ख (3)*	*अनिर्णीत*	*सावधि निवेश एवं उस पर अर्जित ब्याज से सम्बन्धित ₹188.61 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन न करना*	
2	पैरा 10 (ग)	निर्णीत	नये भवनों के गृहकर का निर्धारण न करने के कारण परिषद को राजस्व हानि	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
3	*पैरा 11 (घ)*	*अनिर्णीत*	*विश्राम गृह, रैहन बसेरा व अन्य भवनों के किराये की बकाया ₹2. 47 लाख वसूली हेतु शेष*	
4	पैरा 12	निर्णीत	पूर्णम सिनेमा हॉल से देय मनोरंजन कर ₹1.82 लाख की वसूली न करना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
5	*पैरा 19*	*अनिर्णीत*	*कार्यकारी अधिकरियों को मोबाईल भत्ते के रूप में ₹0.25 लाख का दोहरा भुगतान करना*	
6	पैरा 20	निर्णीत	सेवानिवृत कर्मचारी श्री कर्मवीर सैनेटरी जमादार से देय ₹2,80,180/– के अधिक वेतन भुगतान की वसूली न करना	श्री कर्मवीर सैनेटरी जमादार को सेवानिवृति तक कुल ₹430180 का अधिक भुगतान किया गया था जिसमें से ग्रैच्यूटी भुगतान करते समय ग्रैच्यूटी रोकड़ बही पृष्ठ 38 पर दिनांक 23.01.2019 को मात्र ₹1,50,000 की वसूली की गई है। शेष ₹2,80,180 वसूली का सत्यापन 04/2020 से 08/2023 तक की

				पैन्शन में से किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
7	***पैरा 22***	***अनिर्णीत***	***स्ट्रीट लाईटों के रखरखाव का ठेका ई. ई. एस. एल. कम्पनी को देने के पश्चात पुरानी 1223 लाईटों के बदले में बाई बैक (Buy Back) शर्त के अनुसार देय भुगतान में से यथोचित कटौती न करने के कारण परिषद् को लाखों रुपये की वित्तीय हानि***	
8	पैरा 23	निर्णीत	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन बाहरी एजैंसी से तैयार करवाने हेतु ₹0. 89 लाख के व्यय का औचित्य स्पष्ट न करना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
9	***पैरा 24***	***अनिर्णीत***	***निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन का बिना सक्षम अधिकारी से स्वीकृत से संविदाकार को अनियमित भुगतान करना***	
10	पैरा 25 (क,ख,ग)	निर्णीत	निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अनुपालना तथा सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण न करना	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
11	पैरा 26	निर्णीत	निक्षेप निर्माण कार्य (Deposit Work) हेतु जमा ₹100 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न करना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

12	पैरा 29	निर्णीत	वाहनों की औसत तेल खपत का निर्धारण न करना	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(ब) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/19 से 3/21

1	पैरा 1 व 2	निर्णीत	प्रारम्भिक	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
2	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क।	भुगतान का सत्यापन कर लिया गया।
3	पैरा 4(क)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति –सामान्य	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
4	पैरा 4(ख)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति –14वाँ वित्तायोग	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
5	पैरा 4(ग)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति –15वाँ वित्तायोग	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
6	पैरा 4(घ)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति –NULM	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
7	पैरा 4(ङ)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति – CCBP	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
8	पैरा 4(च)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति – PMAY	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
9	पैरा 4(छ)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति – RGURF	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
10	पैरा 4(ज)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति –अटल श्रेष्ठ शहर	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
11	पैरा 4(झ)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति –पार्क	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
12	पैरा 5(क)	निर्णीत	निवेश –14वाँ वित्तायोग	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
13	पैरा 5(ख)	निर्णीत	निवेश स्थिति – RGURF	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान

				प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
14	पैरा 5(ग)	निर्णीत	सावधि जमा में निवेशित ₹254.74 लाख की राशियों को रोकड़ बही के शेष से बाहर करने बारे	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
15	पैरा 5(घ)	निर्णीत	दिनाँक 31.03.2021 को नगर परिषद् के बैंक बचत खातों में उपलब्ध ₹780.3 लाख की कुल धनराशि से सावधि निवेश न किया जाना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
16	पैरा 6	निर्णीत	नगर परिषद का गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण	मात्र सूचनार्थ।
17	पैरा 7(क)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति –सामान्य	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
18	पैरा 7(ख)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति –14वाँ वित्तायोग	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
19	पैरा 7(ग)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति –15वाँ वित्तायोग	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
20	पैरा 7(घ)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति –NULM	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
21	पैरा 7(ङ)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति – CCBP	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
22	पैरा 7(च)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति – PMAY	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
23	पैरा 7(छ)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति – RGURF	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
24	पैरा 7(ज)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान

			–अटल श्रेष्ठ शहर	प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
25	पैरा 7(झ)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति –पार्क	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
26	पैरा 7(ञ)	निर्णीत	विभिन्न परियोजनाओं की अनुदान की₹854.69 लाख राशि का अव्ययित शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
27	पैरा 7(ट)	निर्णीत	01.04.2019 से पूर्व में प्राप्त ₹184.64 लाख के अनुदानों का दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी उपयोग करने में विफलता	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
28	पैरा 7(ठ)	निर्णीत	वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त ₹165.37 लाख के अनुदानों का दो वर्ष उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
29	पैरा 8	निर्णीत	पैन्शन निधि की वित्तीय स्थिति	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
30	पैरा 9	निर्णीत	ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
31	पैरा 10	निर्णीत	नगर परिषद द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन निधि से सम्बन्धित अभिलेख का नियमानुसार पूर्ण अनुरक्षण न करना	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
32	पैरा 11 (क)	निर्णीत	गृहकर की बकाया ₹156.06 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

33	***पैरा 11 (ख)***	***अनिर्णीत***	***नये भवनों के गृहकर का निर्धारण न करने के कारण परिषद को राजस्व हानि***	
34	पैरा 12 (क)	निर्णीत	दुकानों/भवनों के किराये की बकाया ₹139.46 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
35	पैरा 12 (ख)	निर्णीत	पूर्णम शॉपिंग कम्पलैक्स के ₹45.02 लाख बकाया किराये की वसूली शेष।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
36	पैरा 12 (ग)	निर्णीत	कामकाजी महिला आवास किराये की बकाया ₹0.71 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
37	पैरा 12 (घ)	निर्णीत	कामकाजी महिला आवास में कमरा खाली कर चुके किरायेदारों/लाभार्थियों से ₹0.13 लाख किराया वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
38	पैरा 12 (ङ)	निर्णीत	दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण न करना	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
39	पैरा 13	निर्णीत	मोबाईल टॉवर नवीनीकरण शुल्क ₹7.24 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
40	***पैरा 14***	***अनिर्णीत***	***मै॰ मीडिया प्रोफैशनल एण्टरप्राईज़िज़, जीरकपुर, पँजाब से परिषद परिक्षेत्र में प्रदर्शित विज्ञापन बोर्डों हेतु ₹5.94 लाख विज्ञापन शुल्क की वसूली शेष।***	
41	पैरा 15 (क)	निर्णीत	अवकाश खातों के अन्तशेष को कम दर्शाना	स्वतः निर्णीत।

42	पैरा 15 (ख)	निर्णीत	श्रीमति कमला, सफाई कर्मचारी के अवकाश खाते में पाई गई त्रुटियों बार	स्वतः निर्णीत।
43	***पैरा 15 (ग)***	***अनिर्णीत***	***श्री रामपाल, बेलदार के अवकाश खाते में पाई गई त्रुटियों बारे***	
44	पैरा 16	निर्णीत	स्थापना व्यय रजिस्टर (Establishment Check/Pay Register) तथा पैन्शन व्यय रजिस्टर (Pension Check Register) का अनुरक्षण न करना	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
45	पैरा 17	निर्णीत	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन बाहरी एजैंसी से तैयार करवाने हेतु ₹1.06 लाख का व्यर्थ व्यय	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
46	पैरा 18	निर्णीत	निर्माण कार्य के निष्पादन में किया गया ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान	₹1258/– की वसूली की पुष्टि रसीद संख्या 452/44 दिनांक 21.03.2023 (₹1078) तथा 473/47 दिनांक 01.08.2023 (₹180) से कर ली गई।
47	***पैरा 19***	***अनिर्णीत***	***शौचालय निर्माण में अनियमितताएं तथा कुल ₹5.98 लाख के संदिग्ध भुगतान में ₹1.24 लाख का अनियमित व अधिक भुगतान।***	
48	***पैरा 20***	***अनिर्णीत***	***निर्माण कार्यों का देरी से निष्पादन तथा नियमानुसार निर्धारित दण्ड राशि की ₹0.23***	

			लाख की वसूली न करना।	
49	पैरा 21	निर्णीत	श्रीमति उर्वशी वालिया, कार्यकारी अधिकारी द्वारा ₹0.60 लाख के अग्रिम राशि का 47 दिनों तक अस्थाई दुर्विनियोजन	12 प्रतिशत वार्षिक की दर से 47 दिन के लिये ₹927/– की वसूली की पुष्टि रसीद संख्या 473/48 दिनांक 01.08.2023 से कर ली गई।
50	पैरा 22	निर्णीत	कामकाजी महिला छात्रावास के लिये दो कर्मचारियों को आउटसोर्स माध्यम से नियुक्त करके किया गया ₹1.54 लाख का व्यर्थ व्यय (Infructuous Expenditure)	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
51	पैरा 23	निर्णीत	स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
52	पैरा 24 व 25	निर्णीत	लघु आपत्ति विवरणिका व निष्कर्ष	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों का सार

अवधि 03/2021 तक अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	331
4/21 से 3/23 के दौरान लगाए गए पैर (+) (Including Sub-Paras)	73
कुल	404
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे (–)	256
शेष	148